654वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9861/2023 M/s Girija Colonizer, 1st Floor, Hotel Surendra Vilas, 240, Zone-1, MP Nagar Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Construction of "Surendra Vihar-II at Khasra No. 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 411/1, 411/, 404/1/2, 493/404/412/1, 404/3/2, 43/404, 412/4, 404/4/2, 493, 404, 412/4, 404/2/2, 493, 412/2, Village-Bagmugalia, Tehsil-Kolar, District-Bhopal, (MP)</u>

This is case of Construction of "Surendra Vihar-II at Khasra No. 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 411/1, 411/, 404/1/2, 493/404/412/1, 404/3/2, 43/404, 412/4, 404/4/2, 493, 404, 412/4, 404/2/2, 493, 412/2, Village-Bagmugalia, Tehsil-Kolar, District-Bhopal, (MP).

In the SEAC 645th the meeting dated 15.05.2023 the case was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP) and Shri Rohit Malhotra Authorized Signatory on behalf of PP. After appraisal The EC was recommended in the SEAC 645th the meeting dated 15.05.2023.
Vide SEIAA letter dated 642 dated 06.06.2023 mentioned in their 790th meeting dated 31.05.2023 following has recorded that:

*" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में गूगल ईमेज अनुसार विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि गूगल ईमेज से प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरण स्वीकृति के सड़क निर्माण कार्य कर दिया गया है। चूँकि प्रकरण **SEAC** द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित है अतः प्रकरण **Violation** श्रेणी के अंतर्गत आता है अथवा नही के संबंध मे स्पष्ट अभिमत सहित अनुशंसा हेतु प्रकरण **SEAC** को पुनः परीक्षण एंव स्थल निरीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये । तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। "*

Hence, the case was scheduled for presentation in the SEAC 654th the meeting dated 16.06.2023. Wherein the case was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP) and Shri Rohit Malhotra Authorized Signatory on behalf of PP. PP submitted following details pertaining to proposal of environment clearance for proposed Residential Complex " Surendra Vihar -II" of M/s Girija Colonizer, Bhopal (MP), raised in the SEIAA meeting 790th meeting. PP stated that the said land was purchased by us in 1999-2000 and the roads existing at site since we had purchased the land. This fact is evident from the dilapidated conditions of the roads. Further to that it is more evident from the fact that the layout of the said road does not match with the Layout sanctioned by the T&CP in the 10th June 2022. If it would have been constructed by us after having permission from T&CP in year 2022, the layout of road must have matched with the proposed township. Kindly note that the said road was there since 2000 which is also prior to permission of T&CP as well as EIA notification 2006. We once again submit that the said roads had not been constructed by us.

- Very Humbly, in the case of building project, environment clearance is required to those project which are having built up area more than 20000 sq mtrs. The EIA Notification 2006catgorily state word " **Built up area"** at the item no 08 . **We are hereby reproducing the Table From EIA notification for ready reference**
-

Project or Activity	**Category with threshold limit**			**Conditions if any**
		A	**B**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Building /Construction projects/Area Development projects and Townships				
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq. mtrs and <1,50,000 sq. mtrs. of built-up area#	**#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)**

- Considering the above table , it is clear that Built-up area is defined as covered construction i.e. Basement, Staircases, covered balcony, rooms, corridor . whereas Lawn, Roads, Boundary wall which are open to the sky does not considered for built up area. Gazette notification SO 695 dated 4 .4.2011 of MoEf&CC also clarify and define the meaning of built-up area for the building **project (copy enclosed) .**
- In the EIA notification 2006 , it has also been mentioned that EC is applicable on the constructed built-up area , if it open to the sky , it will be an activity area which is not covered under EIA notification. Even letter of environment clearance always issued for Built-up Area only. **That is the reason, plotted development project does not require EC though these project consist road, boundary wall, STP and**

other facilities. Hence the said road does not come in the definition of built up area as mentioned in So 695 also.

- Further We would also like to draw kind attention that MoEf&CC has issued OM dated 29th March 2022 wherein the type of activities which are allowed prior to EC has been mentioned for those projects which require environment clearance under EIA notification 2006 **.**
- The EIA notification speaks about "**built-up area"** and in the subject case none of built up area has been constructed till date even no foundation has been done for any block. As far as road is concerned , it is open to the sky hence it will not considered as built-up area rather it is an activity area.
- Considering the above facts, we humbly request you that kindly consider the case for environment clearance as no violation has been done till date which may also be seen over google earth.

The committee observed the road is existed since year 2012 in the Google time line and it was also observed that the Layout sanctioned by the T&CP in the 10th June 2022. Hence doesn't come into violation category . Hence, standby earlier recommendation as made in SEAC 645th the meeting dated 15.05.2023.

2. <u>Case No 9171/2022 Shri Kishan Singh Chouhan, Owner, Village - Sada, Tehsil - Bahoribandh, Dist. Katni, MP - 483331 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (8000 Cum per annum) (Khasra No. 412 Part), Village - Sada, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP) EIA Consultant: Cognigance Research India (P) Ltd., Noida (U.P.).</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 412 Part), Village - Sada, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की पूर्व की 574वीं बैठक दिनांक 29/05/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 577वीं दिनांक 11/06/22 एवं समिति की पूर्व की 574वीं बैठक दिनांक 29/05/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियेाजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय

चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 09/06/202 के द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट किये जाने के अनुरोध अनुसार सिया के पत्र क्रमांक 1176 दिनांक 15/07/22 द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री किशन सिंह चौहान और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन अपलोड की गई है जिसमें प्रश्नाधीन खदान का उल्लेख नही है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आज दिनांक तक कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक में परीक्षण हेतु प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने ।

सिया की 785वीं बैठक दिनांक 10/05/23 द्वारा सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है । प्रकरण समिति की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री किशन सिंह चौहान और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–67 के सरल क्रमांक – 25 पर दर्ज है। आवेदित क्षेत्र वन सीमा (पी.एफ. 221 ई) से 220 मी. की दूरी पर है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय आयुक्त, संभागीय कार्यालय से इस शर्त पर अनुमति प्राप्त है, कि वन सीमा के छोटे झाड़ जंगल से 50 मी. तक की दूरी तक भविष्य में कोई उत्खनन नही करेगा एंव वन भूमि से 50 मी0 की दूरी छोडकर उत्खनन पट्टा क्षेत्र की तार फेंन्सिग करेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान दक्षिण–पूर्वी ओर खुदी हुई है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान को पूर्व मे अस्थायी अनुज्ञा जारी की गई थी पूर्व में स्वीकृत अस्थाई उत्खनन् अनुज्ञा के गढ़ढे हैं तथा हमे यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा इन गढ़ढों को सर्फेस मेप मे दर्शाया गया है। प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा मे 180 मी. की दूरी पर एक पक्का रोड़ है एंव उत्तर दिशा में 185 मी. की दूरी पर एक जल रोकने की संरचना है। अतः तत्संबंध में आवश्यक सेडबेक प्रस्तावित किया जाकर पुनरिक्षित सर्फेस मेप प्रस्तुत करें।

3. <u>Case No 9773/2023 M/s Maa Narmada Stone Enterprises, Authorized Person, Shri Arun Kumar Agrawal, 26, Commercial Housing Board Colony, District-Katni (MP)-484660 Prior Environment Clearance for Tala Stone Quarry in an area of 1.530 ha. (26,296 Cum per annum) (Khasra No. 191 Private) Village-Tala, Tehsil-Chandia, District-Umaria (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 191 Private) Village-Tala, Tehsil-Chandia, District-Umaria (MP) 1.530 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 634वीं दिनांक 07/04/23 को प्रस्तुत हुआ है जिसमे परियोजना प्रस्तावक श्री अरूण कुमार अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल–प्रमाण पत्र क्रमांक 2259 दिनांक 23/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसके पूर्वी दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्तर दिशा में 80 मीटर पर पक्का रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में पक्के रोड़ के कारण 20 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया गया है। इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर–पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर तालाब है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि तालाब के कारण 40 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेटबैक छोड़ने के कारण लगभग 01.00 हे. क्षेत्र में खनन् किया जावेगा जो स्वीकृत क्षमता 26,296 घनमीटर/वर्ष हेतु उपयुक्त है । उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र0. 68 एंव सरल क्र0. 11 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2259 दिनांक 23/11/21 अनुसार आवेदित स्थल बॉधवगढ़ टाईगर रिजर्व की कोर सीमा से 2.80 किलोमीटर की दूरी पर है । समिति ने पाया कि बॉधवगढ़ टाईगर रिजर्व का ईको सेसेटिव जोन 2.0 किलोमीटर घोषित है । परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि उनके द्वारा कार्यालय क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया म. प्र. ने पत्र क्रमांक 1176 दिनांक 24/02/23 के द्वारा सूचित किया है कि आवेदित स्थल जीपीएस रीडिंग अनुसार उक्त स्थल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कोर सीमा से 6.703 कि.मी. एवं बफर/ईको सेंसेटिव जोन से 2.178 कि.मी. पर स्थित होना मानचित्र में दर्शित है । समिति का सुझाव है कि वन सीमा की ओर गेम प्रूफ चेनलिंक फेसिंग की जाये । परियेाजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का ईको सेंसेटिव जोन की सीमा 2 किलोमीटर तक है, अतः आंवटित खनन् स्थल आवंटित ईको सेंसेटिव सीमा से बाहर है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 26,296 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.88 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 05.97 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी. ई. आर. गतिविधि					
क्र.	**गतिविधि**	**उपकरण सामग्री**	**कंपनी**	**संख्या**	**राशि**
1.	गांव ताला के प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर का वितरण किया जावेगा	Computer	HP/DELL	01	30,000/-
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम ताला में स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकर्णो का वितरण किया जावेगा	ECG Machine With Report	Medonics	01	50,000
		Radiant Warmer	BLT Monitoring Company	01	35,000
		Refrigerator	LG	01	15,000
		Wheel Chair -3 Stretcher - 2	-	08	30,000
			योग		**1,60,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1840 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा**
1.	बैरियर जोन	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर,एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**1000**
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), कंरज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	**150**
3.	ताला स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक।	**110**
4.	ताला ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरूद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	**580**
		योग	1840

सिया की 783वीं बैठक दिनांक 03/05/23 द्वारा सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है । प्रकरण समिति की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत है,

अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसके पूर्वी दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्तर दिशा में 80 मीटर पर पक्का रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में पक्के रोड़ के कारण 20 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया गया है। इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर–पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर तालाब है। मा0. एन.जी. टी. के ओ.ए. न0. 304/2019 एंव सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया मे ब्लास्टिंग के लिये 200 मी. दूरी छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है। अतः पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रषित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक श्री अरूण कुमार अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा.लि.) नोयडा उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस माइनिंग प्लान के चेप्टर 4.5 मे नॉन ब्लास्टिंग का प्रस्ताव दिया गया है। अतः आवश्यक खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 634वीं बैठक दिनांक 07/04/23 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

4. <u>Case No 8777/2021 Shri Vishwajeet Singh S/o Shri Mahipal Singh Baghel, M.G. Road, Sonkutchh, Dist. Dewas, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.75 ha. (50009 Cum per annum) (Khasra No. 762), Village - Arniya Jagir, Tehsil - Sonkatch, Dist. Dewas (MP).</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 762), Village - Arniya Jagir, Tehsil - Sonkatch, Dist. Dewas (MP) 3.75 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 528वीं दिनांक 23/11/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की पूर्व 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस प्रकरण में पूर्व उनके द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर को अधिकृत किया गया था, जिनकी नेबिट एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट की वैधता दिनांक 07/11/22 को समाप्त हो चुकी थी और मेरे प्रोजेक्ट में बिलंब न हो, इस दृष्टिकोण से मेरे द्वारा मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर के स्थान पर मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा से अनुबंध किया गया है, जिसकी सूचना सिया एवं सेक को दिनांक 30/11/22 को ई–मेल कर दिया गया है, जो प्रस्तुतीकरण में दिया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि ई.आई.ए. के साथ खदान के को–आर्डिनेट के साथ जो गूगल इमेज अपलोड की गई है, वह टॉर के समय प्रस्तुत गूगल इमेज से भिन्न है, क्योंकि टॉर के समय जो इमेज अपलोड की गई थी उसमें पूर्व एवं उत्तर दिशा में स्थित रोड़ लगभग 24–25 मीटर की दूरी पर थी जबकि ई.आई.ए. के साथ अपलोड इमेज में यह रोड़ अब खनन् क्षेत्र के अंदर आ रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नये परिवेश पोर्टल पर कोआरडिनेट अपलोड करते समय पूर्व दिशा में एक कोआरडिनेट गलत अपलोड हो गया था जिस कारण गूगल इमेज अलग प्रतीत होती है किंतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण में वही इमेज अपलोड है जो टॉर के समय दिखाई गई थी अतः इसे मान्य किये जाने का अनुरोध है। खदान के पूर्वी दिशा में 12 से 40 मीटर पर तथा उत्तर दिशा में 85 मीटर पर आबादी के संदर्भ मे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्वी एवं उत्तर दिशा में जो मकान है वह आस–पास की खदानों के साईट आफिस तथा खदानो में कार्य करने वाले मजदूरो के अस्थायी निवास है तथा ग्रामीण आबादी पश्चिम दिशा में है जो आवंटित खनन् क्षेत्र से 270 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच में एक सिविल संरचना है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराने क्रेशर का हापर मशीन है जो खनन् करते समय पुर्नस्थापित करली जायेगी । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र की पूर्व दिशा में 25 मीटर तथा उत्तर दिशा में 40 मीटर पर पक्का रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह दोनो ग्रामीण सड़क है तथा इनके सरंक्षण हेतु पूर्व दिशा में 25 मीटर का तथा उत्तर दिशा में 10 मीटर का सेटबेक एम.एम.आर. 1996 के अनुसार प्रस्तुतीकरण में दिया गया है तथा वृक्षारोपण योजना में इन रोड़ के समीप स्थित खनन् क्षेत्र में 03 पक्तियों में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको इसी स्थिति यह स्थल आवंटित हुआ है तथा माईन पिट सरफेस मेप पर दिखाया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा सुझाव के रूप में वृक्षारोपण तथा शिक्षण संस्थान / ग्राम पंचायत में पेयजल / विद्युत व्यवस्था / शौचालय की व्यवस्था किये जाने के सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनको ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, देवास के पेज नं.–39 के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,009 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.90 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.82 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
सोनकच्छ पी.एच.सी. में चिकित्सीय उपकरण बाबत्	1,00,000
वन्य प्राणी अभ्यारण में वन जीव हेतु पानी की व्यवस्था (सोसर)	1,00,000
योग	**2,00,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4626 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
2.	गैर खनन् क्षेत्र में 03 पंक्तियों में वृक्षारोपण	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, पुत्रंजीवा, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	250
4.	परिवहन मार्ग तक (न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, पुत्रंजीवा, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
5.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत अरनिया जागीर)	नीम, आम,कटहल, मुनगा, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1575
6.	ग्राम पंचायत अरनिया के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, मोलश्री, कदम,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	301
		कुल	4626

सिया की 762वीं बैठक दिनांक 27/12/2022 को खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के दोनों ओर पूर्व 24–25 मीटर व उत्तर दिशा में 12–10 मीटर पर पक्की सड़क तथा उत्तर दिशा में 85 मीटर पर आबादी परिलक्षित हो रही है एवं खदान भी पहाड़ पर है । मान्नीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा–निर्देश अनुसार खनन् प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है । उक्त निर्धारित दूरी 200 मीटर के मापदण्ड अनुसार उपरोक्त क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए तथा न्यूनतम् खनन् क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाता है ।

उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 03/01/2023 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है कि खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़का को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को गॉव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलक्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं इस खदान के खुलने से ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध होगा एवं कलस्टर में चल रही खदान संचालकों द्वारा कहा गया है कि यदि खदान चालू होती है तो इन इस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा । अतः महोदय आपसे निवेदन है कि मेरे प्रकरण को एक बार पुनः अवलोकन परीक्षण हेतु रखा जाये एवं मुझे सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक मौका दिया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री अंशुल यादव के साथ दिनांक 10/01/2023 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध में बताया गया कि प्रकरण में खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है, उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़क को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को गॉव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलस्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं इस खदान के खुलने के ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध होगा एवं कलस्टर में चल रही खदान संचालकों द्वारा कहा गया है कि यदि खदान चालू होती है तो इस अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा एवं प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों को समिति समक्ष 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है, उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़क को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को गॉव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलस्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं यदि खदान चालू होती है तो इस अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा । परियेाजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि आबादी के कारण प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत दिया गया है तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।

समिति ने पाया कि सेक की 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

"आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 200 मीटर पर आबादी, पश्चिम क्षेत्र में भी 70 मीटर पर आबादी है, दक्षिण पूर्व दिशा में 130 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित अपलोडेड ई.आई.ए.

रिपोर्ट एवं खनन् योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं की गई है तथा खनन् हेतु जैक हैमर / रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा । इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में भी 70 मीटर पर आबादी के कारण 30 मीटर का सेटबेक तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ के कारण 7.5 मीटर के बेरियर जोन मे सघन वृक्षारोपण किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 40 मीटर की दूरी पर एक मकान है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह उनका स्वंय का मकान है जो खनन् दौरान मजदूरो के आराम एवं साईट ऑफिस के रूप में उपयोग किया जायेगा जिस बाब्त उन्होने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बम्हनगांव ने पत्र दिनांक 21/5/22 के माध्यम से प्रमाणित किया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेटबेक छोड़ने के बाद करीब 1.00 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा जो 9938 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन हेतु पर्याप्त है'' ।

समिति ने पाया कि सेक की 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी तथा परियोजना प्रस्तावक ने आज प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी बताया कि आबादी के कारण प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत दिया गया है तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा एवं अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा । अतः समिति द्वारा 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा में अतिरिक्त शर्त ''खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम'' एवं ''अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट'' करने की शर्तो को शामिल करते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

सिया की 788वीं बैठक दिनांक 19/05/23 को चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया – *''सेक की उपरोक्त बैठक में निम्नानुसार अनुशंसा नही की गई है ..... प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल इमेज अनुसार)* ***इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है । अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का नियमानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे अथवा नहीं ।''***

सिया द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह पाया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र दिनांक 21/06/21 अनुसार प्रस्तावित खदान की 500 मीटर की परिधि में कार्यरत अन्य खदानों में परियोजना प्रस्तावक के पिता श्री महिपाल सिंह की भी खदान सम्मिलित है, जिसके द्वारा भी ई.सी. की शर्तो का परिपालन सुनिश्चित् नहीं किया गया है । अतः प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है ।''

प्रकरण आज राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 654वीं दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है ।

प्रकरण आज सेक की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए

प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

5. <u>Case No 9239/2022 Director, M/s Pranjal Agrotech Pvt. Ltd, MIG-II, Housing Board Colony, Dist. Katni, MP - 483501, Prior Environment Clearance for Limestone & Dolomite Mine in an area of 2.109 ha. (Limestone – 11,148 Tonne per annum, Dolomite - 60102 Tonne per annum) (Khasra No. 22, 31), Village - Sejha, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.</u>

This is case of Limestone & Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No.22, 31), Village - Sejha, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 2.109 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 581वीं दिनांक 24/06/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की 613वीं बैठक दिनांक 22/12/22 को प्रस्तुतीकरण हुआा था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र बंसल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिमी भाग से होकर एक कच्चा रोड़ निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह कच्चा रास्ता इस खदान तक एवं अन्य खदानों तक का पहुंच मार्ग है तथा पश्चिम दिशा में ही एक ओर वैकल्पिक मार्ग आवागमन हेतु उपलब्ध है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खनन् क्षेत्र में कुछ पिट्स हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बाताया कि पूर्व में खनन् 2022 तक हुआ है, क्योंकि यह खदान 1987 में स्वीकृत हुई थी तथा वर्तमान परियोजना प्रस्तावक को वर्ष 2000 में स्थानांतरित हुई है। खदान के दक्षिण दिशा में 540 मीटर पर एक तालाब है जिस हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग पिट प्रस्तावित किये गये है तथा उत्तर दिशा में 360 मीटर पर आबादी है, जिसके के कारण इस तरफ सघन वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल 04 पेड़ लगे है जिसमें से 03 बैरियर जोन में है तथा एक पेड काटा जाना प्रस्तावित है जिसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा गांव में पेयजल की समस्या, रोड़ का रखरखाव, खदान के चारो ओर फेंसिग, आगनबाडी में लाईट एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु समय निर्धारित कर कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा

654वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2023

पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन – 11,148 टन प्रति वर्ष एवं डोलोमाईट – 60,102 टन प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.18 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 04.37 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	**राशि**(रू.में)
ग्राम सेझा में पेयजल के लिए हैंड पंप की स्थापना व मरम्मत कराई जायेगी।	50,000
गावं सेझा के सरकारी स्कूल (01नग 30वॉट) व आंगनवाड़ी (01नग 30वॉट) में सोलर लाईट की व्यवस्था कराई जायेगी।	55,000
वर्ष में दो बार ग्राम लौसी में स्थानीय ग्रामीणों के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था की जायेगी।	20,000
वाइल्ड लाइफ स्टाफ वेलफेयर के लिए	75,000
ग्राम सेझा के पास सड़क का रखरखाव कार्य कराया जायेगा।	ई.एम.पी. में शमिल
योग	2,00,000

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2541 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	शीशम, पीपल, खमेर, नीम, चिरौल, बबूल, एवं कंरज आदि और उपलब्ध देशी प्रजातियॉं।	1000
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	बरगद, चिरौल, नीम, पीपल, करंज और अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा सुझाई गई प्रजातियां।	200
3	ग्राम सेझा के प्राथमिक विद्यालय में	अमलतास, नीम, कचनार, पुत्ररंजीवा, मौलश्री और अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	20
4	सेझा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, बेर, आम, अमरूद सीताफल, मुनगा और अन्य फल देने वाले स्थानीय वृक्षारोपण की प्रजातियॉ।	1221
		कुल	2541

654वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2023

सिया की 765वीं बैठक दिनांक दिनांक 10/01/23 को प्रकरण में सेक द्वारा अनुशंसित 10 पौधों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिर ऊँचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश–देशांश सहित एवं वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल के उपलब्ध मात्रा एवं प्रस्तावित खदान में पूर्व किये गये उत्खनन् की वर्षवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की किये जाने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पर एडीएस दिनांक 24/01/23 के माध्यम से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है । प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत जिला कटनी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं होने के कारण प्रकरण को डिलिस्ट किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में सिया की 776वीं बैठक दिनांक 28/03/23 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन एडीएस दिनांक 13/04/23 के माध्यम से अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया ।

सिया की 785वीं बैठक दिनांक 10/05/23 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को रिलिस्ट कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> *''उक्त प्रकरण में लीज वर्ष 1987 से वर्ष 2007 तक स्वीकृत थी जिसे शेष अवधि हेतु वर्ष 2000 में मेसर्स प्रांजल एग्रोटेक को हस्तांतरित की गई है तथा उक्त लीज का नवकरण कर अनुबंध दिनांक 05/10/15 को निष्पादित कर दिनांक 05/03/2007 से 04/03/2037 तक लीज स्वीकृत की गई है । प्रकरण में सेक की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2022 तक परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन् किया गया है । चूँकि प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2014 के उपरांत भी बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर उत्खनन् कार्य किया गया है, जिससे कि प्रकरण वॉयलेशन की श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेत सेक को प्रेषित किया गया ।''*

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र बंसल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट के चेप्टर 2 के सेक्शन 2.5.3 एवं अनुमोदित खनन योजना के पेज न0. 15 मे खदान की लेप्स अवधि 2012 से 2021–22 उल्लेखित है जबकि लिपिकीय त्रृटिवश पूर्व खनन् 2022 तक उल्लेख हो गया । अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि अपनी पूर्व की 613वीं बैठक दिनांक 22/12/22 में पूर्व में खनन् 2022 तक हुआ है के स्थान पर पूर्व में खनन् 2012 तक हुआ है, पढ़ा जाये, शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

6. <u>Case No 8399/2021 Shri Vinay Rathore, Village - Prithvipur, Tehsil & Dist. Niwari, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (40000 cum per annum) (Khasra No. 42), Village - Magrai, Tehsil - Mohangarh, Dist. Tikamgarh (M.P.).</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 42), Village - Magrai, Tehsil - Mohangarh, Dist. Tikamgarh (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 494वीं दिनांक 31/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विनय राठौर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है जिसमे पूर्व से एक क्रेशर स्थापित है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 1.0 किलोमीटर पर नदी, पूर्वी दिशा में 300 मीटर पर कच्चा रास्ता तथा 70 मीटर पर जल रोकने की संरचना है । इसी प्रकार पूर्व दिशा में 70 मीटर पर कुछ शेड बने है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खनन् क्षेत्र में पूर्व से स्थापित क्रेशर प्लांट के उपयोग हेतु बनाये गये अस्थायी शेड है जो वर्तमान में उपयोग में नही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान में पूर्व से स्थापित क्रेशर का उपयोग उनके द्वारा नही किया जायेगा तथा उसे स्क्रेप किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण भाग से होकर एक मौसमी नाला निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाले से 50 मीटर का सेटवेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है तथा सेटवेक छोड़ने के बाद लगभग 2.75 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा जो स्वीकृत मात्रा हेतु पर्याप्त है तथा इसके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा स्कूल एवं पंचायत भवन में मरम्मत, गांव में पेयजल हेतु हेंड पंप, बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण, रोड़ का रख–रखाव एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग निर्धारित समय पर की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 40,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 06.40 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रु.में)
ग्राम पंचायत जगत नगर में सबमर्सिबल के साथ एक हैण्ड पम्प उपलब्ध कराया जायेगा।	60,000/–
पंचायत भवन और ऑगनवाडी केन्द्र की मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।	30,000/–
स्वास्थ्य विभाग से मिलकर बच्चों का स्वास्थ्य परिक्षण कराया जायेगा।	20,000/–
योग	1,10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, नीम, पीपल, खमेर, चिरौल, कंरज, अन्य स्थानीय प्रजातियां ।	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सिस्सू, बरगद, कदम, अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	300
3	ग्राम मियावो के शासकीय विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुंत्रजीवा सीताअशोक, नीम, मौलश्री कचनार गुलमोहर, इत्यादि।	20
4	वन विभाग के सहयोग से वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा।	चिरौल, इमली, सीताफल, आंवला, नींबू, बेल, आम, व अन्य स्थानीय प्रजातियां	3280
		कुल	4800

सिया की 769वीं बैठक दिनांक 01/02/23 को परियेाजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान के दक्षिण पूर्व दिशा में 70 मीटर पर जल रोकने की संरचना परिलक्षित है । मान्नीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन् प्रकिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसके परिपालन में जल रोकने वाली संरचना से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण को समिति की 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

''प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है जिसमे पूर्व से एक क्रेशर स्थापित है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 1.0 किलोमीटर पर नदी, पूर्वी दिशा में 300 मीटर पर कच्चा रास्ता तथा 70 मीटर पर जल रोकने की संरचना है । इसी प्रकार पूर्व दिशा में 70 मीटर पर कुछ शेड बने है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खनन् क्षेत्र में पूर्व से स्थापित क्रेशर प्लांट के उपयोग हेतु बनाये गये अस्थायी शेड है जो वर्तमान में उपयोग में नही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान में पूर्व से स्थापित क्रेशर का उपयोग उनके द्वारा नही किया जायेगा तथा उसे स्क्रेप किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण भाग से होकर एक मौसमी नाला निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाले से 50 मीटर का सेटवेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है तथा सेटवेक छोड़ने के बाद लगभग 2.75 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा, जो स्वीकृत मात्रा हेतु पर्याप्त है तथा इसके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है'' ।

समिति ने पाया कि सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी, अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सिया की 786वीं बैठक दिनांक 11/05/23 को प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि *''प्राधिकरण द्वारा 769वीं बैठक दिनांक 01/02/23 के निर्णयानुसार पुनः परीक्षण हेतु आपकी ओर अग्रेषित किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 04/04/23 के माध्यम से खनन् हेतु नॉन ब्लास्टिंग शपथ–पत्र सेक को प्रस्तुत किया गया, जिसका कोई भी जिक्र सेक समिति द्वारा 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 के कार्यवाही विवरण में नहीं किया गया है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये ।''*

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विनय राठौर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि पूर्व में बैठक में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन् हेतु नॉन ब्लास्टिंग शपथ–पत्र सेक को प्रस्तुत किया गया था किंतु लिपिकीय त्रुटिवश कार्यवाही विवरण में रिकार्ड नहीं हो पाया, अतः अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि अपनी पूर्व की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में की गई अनुशंसा में खनन् रॉक ब्रेकर से किया जावेगा की शर्त जोड़ते हुए की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

7. **Case No 9884/2023 M/s. Sisodia Minings Private Limited, Director, Shri Thakur Vinay Bahadur Singh, R/o Satendra Bhavan Bhatta Mohalla, Tehsil & District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Bhatgawan-Sunhara Quartz, Quartzite & Dolomite Deposit Quarry in an area of 4.80 ha. (Quartzite - 15,000**

Tonne/Year, - Quartz 50,000 Tonne/Year, Dolomite 1,500 Tonne /Year & Overburden - 13,450 m3/Year Tonne per annum) (Khasra No. 328/5), Village-Bhatgawan-Sunhara, Tehsil-Mudwara, District-Katni (MP)

This is case of Quartz, Quartzite & Dolomite Deposit Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 328/5), Village-Bhatgawan-Sunhara, Tehsil-Mudwara, District-Katni (MP) 4.80 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने जो के.एम.एल. ऑन–लाईन अपलोड की गई है वह इमेज डी.एस.आर. के कोर्डीनेट्स से तैयार के.एम.एल. मे अंतर परिलक्षित हो रहा है। अतः समिति की यह भी अनुशंसा है, कि संबंधित खनिज अधिकारी के प्रमाणीकरण प्राप्ती उपरांत खदान के सभी को–आर्डिनेट, डी.एस.आर. से मिलान करते हुये पुनः प्रस्तुत किया जाये, तत्पश्चात् आपके प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्नाधीन खदान निजी भूमि पर है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 30/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री ठाकुर विनय बहादुर सिंह (ऑन लाईन) एवं उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए।
प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार खदान पहाड़ी पर है, जिसके दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग 40 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक हॉलेज रोड़ है जो कि अन्य खदानों तक पहुॅच मार्ग है । खदान क्षेत्र के अंदर 16 पेड़ लगे है, जिसमें से 04 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है, जिसके एवज् में अतिरिक्त 40 पेड़ लगाये जायेंगे तथा अन्य पेड़ बैरियर जोन में होने के कारण नहीं काटे जायेंगे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Quartzite - 15,000 Tonne/Year, - Quartz 50,000 Tonne/Year, Dolomite 1,500 Tonne /Year & Overburden - 13,450 m3/Year Tonne per annum.
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 20.78 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 03.03 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्रामभटगवांसुनेहारा में पानी उपलब्धता हेतु हैंडपंप लगवाया जावेगा एवं उसके आसपास पानी निकासी हेतु चारो और कंक्रीटिंग करवाकर एवं वाटरहार्वेस्टिंग के	**1,00,000/-**

लिए व्यवस्था की जावेगी	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन में	कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, महुआ, पीपल, सिस्सू, बबूल, आवला, सागौनकटहल, जंगल जलेबी, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	900
2	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम् ऊॅचाई 01.5 मीटर)	नीम, पीपल, पाखर, करंज, बरगद, कदम्ब, पुत्रंजीवा, सिस्सूआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री–गार्ड के साथ	470
3.	माध्यमिक शाला के परिसर में उपलब्ध क्षेत्र	नीम, पीपल, करंज, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पाखर, खमेरआदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
4.	ग्राम भटगवांसुनेहरा में निजी भूमि खसरा क्रमांक 106/2 पर पौधरोपण	नीम, पीपल, आम, जामुन , जामफल,करंज, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पाखर, खमेरआदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
5.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	मूंगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहलआदिंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3730
		कुल	**5800**

8. <u>Case No 9828/2023 Shri Shashank Chauhan, Owner, Niwasi Hanuman, Ganj, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Dang Flag Stone (Farshi Pathhar) Quarry in an area of 2.00 ha. (2200 Cum per annum) (Khasra No. 1274 Part) Village-Dang, Tehsil-Rithi, District-Katni (MP)</u>

This is case of Flag Stone. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1274 Part) Village-Dang, Tehsil-Rithi, District-Katni (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 642वीं बैठक दिनांक 04/05/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शशांक चौहान ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज मे0. अमलतास इंवारो

इंडस्ट्रीयल कंसलटेंट्स एल.एल.पी. गुरूग्राम (हरियाण) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2763 दिनांक 05/12/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 03.80 हे0. है जो कि 05.00 हे. से कम होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार एक कच्चा रोड़ दक्षिण–पूर्व दिशा में 28 मीटर की दूरी पर है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तावित खदान फ्लैग स्टोन का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–69 के सरल क्रमांक–38 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन – 2200 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.33 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.50 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक शाला डांग में 5 कुर्सिया की व्यवस्था	10,000
डांग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	20,000
योग	30,000

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2.	परिवहन मार्ग (पेडों की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज,जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	350
3.	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, अगेव एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400

4.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत डांग) (ट्री गार्ड सहित)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
5.	ग्राम पंचायत डांग के प्राथमिक शाला (ट्री गार्ड सहित)	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
		योग	2000
Causality Replacement of trees will be done till lease period.			

सिया की 787वीं बैठक दिनांक 18/05/23 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया कि *''परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खनन् क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें परिलक्षित है, जिनका कुल रकबा प्रस्तावित खदान को मिलाकर 5.0 हे. से अधिक होना प्रतीत होता है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2763 दिनांक 05/10/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान रकबा 1.80 हे. की स्वीकृत होना बताया गया है । अतः पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण सेक को अग्रेषित किया जाये और सेक द्वारा प्राथमिकता पर समयावधि में प्रकरण निराकृत कर सिया को सूचित करे''* ।

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है और समिति ने चर्चा उपरांत सिया की उपरोक्त पृच्छा के संदर्भ में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कार्यरत खदानों की वास्तविक जानकारी खनिज कार्यालय, कलेक्टर जिला कटनी से प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया ।

9. <u>Case No 9558/2022 Shri Sunil Jain, Firozpur Jairka District-Mewat (Haryana)-122104 Prior Environment Clearance for Bajana Stone Quarry (Temporary Permit) in an area of 1.00 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 171/2/2 Private Land), Village-Bajana, Tehsil-Bitharwar, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 171/2/2), Village-Bajana, Tehsil-Bitharwar, District-Gwalior (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1666 दिनांक 06/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने की संरचना, पूर्व दिशा में 500 मीटर की अधिक दूरी पर नहर तथा पश्चिम दिशा में 415 मीटर पर मौसमी नाला है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण अस्थाई अनुज्ञा का है, जो निजी भूमि पर आवंटित है तथा पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने की संरचना हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में वृक्ष लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह आवंटित खनन् क्षेत्र में 02 पेड़ लगे है जिसमें से 01 पेड़ काटा जायेगा तथा उसके बदले में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1666 दिनांक 06/12/2022 के द्वारा सूचित किया है कि इस खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ा जायेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.61 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.44 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय प्राथमिक विद्यालय में एक कम्पयूटर एवं एक माइक्रोस्कोप दिया जाएगा।	75,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	**आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां**	**300**
2	परिवहन मार्ग पेड़ों) 1 की न्यूतम ऊंचाई (मीटर	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**200**

	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**700**
		कुल	1200

सिया की 785वीं बैठक दिनांक 10/05/23 द्वारा सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है । प्रकरण समिति की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत है, परीक्षण उपरांत पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत नही की गई है । अतः परियोजना प्रस्तावक से पूर्ण वांछित जानकारी प्रस्तुत करें।

10. <u>Case No 9885/2023 Shri Vikram Chouhan, R/o Ishwari Nagar, Gouridham Road, Ward 05, District-Khargone (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Manawar Crusher Stone Mine in an area of 2.00 ha. (10,146 Cum per annum) (Khasra No. 22), Village-Manawar, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP)</u>

This is case of Crusher Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 22), Village-Manawar, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 645वीं बैठक दिनांक 15/05/23 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विक्रम चौहान (ऑन–लाईन) ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 8987 दिनांक 25/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.80 हे. होने के कारण प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंवटित है, खदान क्षेत्र खुदा हुआ है गूगल इमेज के अनुसार खदान एरिया वर्ष 2018 के पूर्व से खुदी हुई इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र उन्हे इसी स्थित में मिला है, पिट को माईनिंग प्लॉन में दर्शाया गया है, माईनिंग प्लान के अनुसार पिट क्षेत्र लगभग 6000 वर्ग मीटर का है अतः लगभग 1.6 हे. क्षेत्र खनन् के लिये उपलब्ध होगा । खदान के पूर्वी दिशा में क्रमशः 09 मीटर एवं 28 मीटर पर अर्धनिर्मित संरचाना दिख रही है, अर्धनिर्मित संरचना के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि श्रमिको के शेल्टर है। पूर्व दिशा में 379 मीटर पर एक पक्की रोड़ है तथा दक्षिण दिशा में 245 मीटर पर नाला है । कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) जिला खरगौन ने पत्र क्रमांक 8985 दिनांक 25/11/22 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है । उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत आगामी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि

राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॅात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है ।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 10,146 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.81 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 04.07 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि(रू.में)
गॉंव मनावर में स्कूल के पास एक हैंडपंप व उसके चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा	**60,000/–**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	जगल जलेबी, नीम, पीपल, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	500
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, बरगद, चिरौल, इत्यादि।	200
3.	मनावर ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा अन्य स्थानीय प्रजातिया।	1680
4.	मनावर शासकीय विद्यायल में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर, मोलश्री अन्य स्थानीय प्रजातिया ।	20
5.	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है ।	
		योग	**2400**

सिया की 790वीं बैठक दिनांक 31/05/23 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

''परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान क्षेत्र में पूर्व से उत्खनन् किया जाना परिलक्षित है, जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त क्षेत्र में उत्खनन् अन्य प्रस्तावक अथवा इसी प्रस्तावक ने सिया/डियाा द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के उपरांत किया गया है अथवा अवैध उत्खनन् की श्रेणी में है ध इस संबंध में संबंधित जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित जानकारी एवं परियोजना प्रस्तावक से भी नोटराईज्ड शपथ–पत्र पर यह सुनिश्चित् किया जाना चाहिए कि बिना पर्यावरण स्वीकृति के उत्खनन् उनके द्वारा नहीं किया गया है । चूँकि सेक के समक्ष परियोजना प्रस्तावक / अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरण सलाहकार उपस्थित होते है, उनसे यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है क्योंकि वह स्थल भ्रमण करते हैं ।

सेक द्वारा प्रकरण की अनुशंसा में उल्लेखित किया गया है कि प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल इमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुए माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है ।
उक्त टीप का आधार क्या है, स्पष्ट नहीं है । अधिकांशतः ऐसी खदानें ''कलस्टर'' में होती है जो कि बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आती है । इसके संबंध में ई.आई.ए. प्रतिवेदन में प्रत्येक खदान की वस्तुस्थिति कलटस्टर मैनेजमेंट प्लांट में उल्लेखित की जानी चाहिए, जिसके आधार पर स्पष्ट अभिमत दिया जा सकता है । अगर ईआईए प्रतिवेदन में यह जानकारी नहीं है तो प्रतिवेदन अधूरा है । ***प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक / अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में अनुशंसित प्रकरण में प्रस्तावित शर्तो का पालन भी प्रस्तावक द्वारा न करने को बल मिलेगा ।***

इस व्यवस्था को सुनिश्चित् करने के लिए सेक की टीप द्वारा समय–समय पर कतिपय कलस्टर क्षेत्रों का भ्रमण भी किया जाना चाहिए जैसा कि कुछ प्रकरणों में (Other Than Mining) में किया गया है उल्लेख करते हुए प्रकरण सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।''

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है । उपरोक्त सिया की टीप के संबंध में समिति का निम्न अभिमत है ।

समिति द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के दौरान विशेष प्रकरणों में गूगल इमेज से अवलोकन तथा संबंधित समस्त संवेदनशील बिंदुओं पर विचार–विमर्श किया जाता है। अवलोकन करने पर कई स्थलों पर यह पाया जाता है कि स्थल विशेष की खदानों के चारों ओर अन्य खदानें जो संचालित हो रही है या हो चुकी है उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में समाहित शर्तो क्रमशः फेंसिंग कार्य, गारलेन ड्रेन कार्य, सेटलिंग टैंक निर्माण कार्य एवं पौधारोपण कार्य जो पर्यावरणीय स्वीकृति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अंग है । विशेष रूप से इस तथ्य को भी जानना आवश्यक है कि पूर्व में जो पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा रही है उनका कितना पालन क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा खनन् कार्य से विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है । इस हेतु समिति द्वारा जो प्रावधान किये जाते है, उसकी पुष्टि हो सके । प्रश्न यह है कि समस्त प्रावधान समय पर कियान्वय हो, सामान्यतः

गूगल इमेज देखने के दौरान परिलक्षित नहीं होते । प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक छः माह में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये, जिसका संबंधित विभाग/एजेंसी से पुष्टि कराया जाना उचित होगा कि इस लेखन का वर्णन की आसपास की खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो हो रहा है, जिसे समिति की कार्यवाही विवरण में रिकार्ड में लिया जाने का मुख्य उद्देश्य सिया के संज्ञान में लाना है साथ ही कलेक्टर के माध्यम से संबंधित विभाग जैसे खनिज विभाग द्वारा इसकी पुष्टि कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि मौके की स्थिति का ठीक से आंकलन किया जा सके, क्योंकि कई बार गूगल इमेज से स्थिति स्पष्ट नहीं होती ।

समिति का मुख्य दायित्व प्राप्त प्रकरणों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण/मूल्यांकन करना है तथा प्रकरण विशेष का परीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यदि आवश्यक हो तो प्रकरण विशेष हेतु समिति के सदस्य भी यदि आवश्यक समझें तो मौके पर जाकर अध्ययन कर सकते है ।

आसपास के क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन की पुष्टि कलेक्टर या अन्य एजेंसी से कराने संबंधी निर्णय सिया स्तर से लिया जा सकता है ।

11. <u>Case No 9839/2023 Shri Surendra Thakur, Owner, HIG-30, Deendayal Nagar, Makroniya, District-Sagar (MP)-470004, Prior Environment Clearance for Jajer Raiyatwari Flagstone Quarry in an area of 3.650 ha. (3600 Cum per annum) (Khasra No. 16, 22) Village- Jajer Raiyatwari, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP)</u>

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 16, 22) Village- Jajer Raiyatwari, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP) 3.650 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 642वीं बैठक दिनांक 04/05/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र ठाकुर ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कोग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि, नोएडा (उ.प्र.)। उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 191 दिनांक 03/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान का क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ हैं। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्ष 2008 से 2013 तक उत्खनन् कार्य किया गया है, उसके बाद से खनन् कार्य बंद है । खदान के दक्षिण दिशा में 20 मीटर पर एक नदी है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान से दक्षिण दिशा में 100 मीटर तक का एरिया नॉन माईनिंग छोडा गया है एवं इस क्षेत्र पौधारोपण का कार्य किया जायेगा । खदान में 02 पेड़ लगे है जिनको काटा जाना प्रस्तावित नही है । खदान के दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ शेड 40 मीटर, 50 मीटर एवं 87 मीटर पर है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि फ्लेग स्टोन होने के कारण खदान में

ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । एकल प्रमाण पत्र अनुसार वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मण्डल, सागर के प्रतिवेदन दिनांक 11/11/21 के अनुसार उत्खनन् पट्टा क्षेत्र वन सीमा से 40 मीटर दूर पर है । आयुक्त महोदय सागर संभाग, सागर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04/02/22 को उत्खनन् पट्टा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 25 पेड़ लगे है जिनमें से 08 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 80 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 191 दिनांक 03/02/2023 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जावेगा ।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन – 3600 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.93 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 05.77 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम जाजेर रैयतवारी के प्राथमिक भााला में बच्चों के बैठनें के लिये 15 टेबल और 15 कुर्सियों का वितरण किया जायेगा।	75,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	**वृक्षारोपण हेतु स्थान**	**पौधों की प्रजातियाँ**	**मात्रा**
1.	बैरियर जोन (प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष)	सागौन, नीम खमेर, सिस्सु एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**3000**
2.	परिवहन मार्ग (पेडों की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष)	नीम, शीशम (सिस्सू), कंरज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय। ट्री–गार्ड के साथ।	**200**

3.	ग्राम वासियों में वितरण हेतु (प्रथम वर्ष)	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**1200**
		योग	4400

सिया की 787वीं बैठक दिनांक 18/05/23 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया कि *''परियोजना प्रस्तावक ई–मेल दिनांक 17/05/2022 के माध्यम से बताया गया है कि खदान क्षेत्र में कुल 06 पेड़ लगे हुए है जिसमें कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है जबकि सेक द्वारा 642वीं बैठक दिनांक 04/05/23 में निम्नानुसार लेख किया गया है :–*

''खदान में 02 पेड़ लगे है जिनको काटा जाना प्रस्तावित नहीं है । आवंटित खनन् क्षेत्र में 25 पेड़ लगे है जिनमें से 08 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 80 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।''
परियोजना प्रस्तावक के स्पष्टीकरण पर विस्तृत चर्चा उपरांत देखा गया कि अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र में 25 वृक्ष होना परिलक्षित नहीं है । अतः पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण सेक अग्रेषित किया गया है'' ।

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है । समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि समिति की 642वीं बैठक दिनांक 04/05/23 में लिपिकीय त्रृटिवश खदान में 02 पेड़ लगे है जिनको काटा जाना प्रस्तावित नही है और परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 25 पेड़ लगे है जिनमें से 08 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 80 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे उल्लेखित हो गया है।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि अपनी पूर्व 642वीं बैठक दिनांक 04/05/23 में खदान में 02 पेड़ लगे है जिनको काटा जाना प्रस्तावित नही है और परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 25 पेड़ लगे है जिनमें से 08 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 80 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे के **स्थान पर खदान क्षेत्र में कुल 06 पेड़ लगे हुए है जिसमें कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है पढ़ा जाये, शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।**

12. <u>Case No 9762/2023 Shri Devraj Gurjar, Leessee, R/o Chhayan, District-Rajgarh (MP)-465661, Prior Environment Clearance for Talawada Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (3763 Cum per annum) (Khasra No. 34, Govt. Village-Talawada, Tehsil-Rajgarh, District-Rajgarh (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 34, Govt. Village-Talawada, Tehsil-Rajgarh,

District-Rajgarh (MP) 1.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री देवराज गुर्जर और और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 103 दिनांक 14/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके दक्षिण दिशा में 30 मीटर पर मौसमी नाला, दक्षिण–पूर्व दिशा में 40 मीटर पर तथा पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर जल रोकने की संरचना निर्मित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण दिशा में 20 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है तथा इनके संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग में से एक मौसमी नाला निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाले से 50 मीटर का सेट बेक छोडा गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेक बेंक छोडने के पश्चात् खनन् हेतु 0.41 हे. का क्षेत्र उपलब्ध है एवं चूँकि उत्पादन क्षमता 3,763 घनमीटर / वर्ष है, अतः बचा हुआ क्षेत्र खनन् हेतु पर्याप्त है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 02 पेड़ लगे जिसमें से एक पेड़ काटा जायेगा तथा उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक **103 दिनांक 14/02/2023** के द्वारा सूचित किया गया है कि खनन पट्टे के ब्यौरे को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा।. चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 3763 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.91 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में

शासकीय प्राथमिक स्कूल, तलावडा में फर्निचर (10 नग बेंच व डेस्क) एवं 2 अलमारी	**60,000**
योग	**60,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1210 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

वर्षवार	**प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्यामें)**
प्रथम वर्ष	बैरियर जोन	नीम, सिस्सू, कदम्ब, करंज, चिरोल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	610
	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम् ऊॅचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, गुलमोंहर, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
		कुल	1210

सिया की 783वीं बैठक दिनांक 03/05/23 द्वारा सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है (मा0. एन. जी.टी. के ओ.ए. न0. 304/2019 एंव सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया मे ब्लास्टिंग के लिये 200 मी. दूरी छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है। अतः पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रषित किया जाये)।

प्रकरण समिति की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत है, परियोजना प्रस्तावक श्री देवराज गुर्जर और और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। **खदान के दक्षिण दिशा में 30 मीटर पर मौसमी नाला, दक्षिण–पूर्व दिशा में 40 मीटर पर जल रोकने की संरचना** के परिपेक्ष्य मे सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया मे नॉन–ब्लास्टिंग के लिये 100 मी. दूरी छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन हेतु क्षेत्र – 0.29 हे0. एंव नॉन–माइनिंग एरिया 0.71 हे0. उपलब्ध हो रहा है चूंकि उत्पादन मात्र 3763 घन मी./वर्ष है। अतः वांछित मात्रा खनन क्षेत्र से प्राप्त की जा सकेगी।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 627वीं बैठक दिनांक 08/03/23 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

13. <u>Case No 9794/2023 Shri Relam, R/o Village-Sevariya, Post-Kanwada, Tehsil-Jobat, District-Alirajpur (MP)-457990, Prior Environment Clearance for Chak Ubrasi Stone & M-Sand Mine in an area of 4.250 ha. (Stone – 1,85,000 Cum/Year and M-Sand – 15,000 Cum/Year) (Khasra No. 3, 4, 21) Village-Chak Ubrasi, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)</u>

654वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2023

This is case of Stone & M-Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3, 4, 21) Village-Chak Ubrasi, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 4.250 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 634वीं बैठक दिनांक 07/04/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रेलम (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल–प्रमाण पत्र क्रमांक 462 दिनांक 06/03/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित जिसके दक्षिण दिशा में 580 मीटर पर आबादी, पश्चिम दिशा मे 05 मीटर पर कच्चा रोड, पूर्वी दिशा में 110 मीटर पर पक्का रोड़ तथा संपूर्ण आवंटित खनन् क्षेत्र पेडो से अच्छादित है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ने पत्र क्रमांक 462 दिनांक 06/03/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के 500 मीटर की परिधि के अंदर दक्षिण दिशा में एक अन्य खदान कार्यरत दिख रही है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल–प्रमाण पत्र क्रमांक 462 दिनांक 06/03/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के समीप ही एक रोड का निर्माण होने के कारण लगातार उत्खनन् कार्य हो रहा है । समिति ने पाया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल–प्रमाण पत्र क्रमांक 462 दिनांक 06/03/23 में यह विवरण दर्ज नही है अतः यह जानकारी सिया के माध्यम से संबंधित कलेक्टर के संज्ञान में लाई जाये ।

आज दिनांक 16/05/23 को परियोजना प्रस्तावक जसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रेलम (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पहाड पर पेड़ न होकर करधई की झाडियां है कुल पहाड़ का क्षेत्रफल 10.0 हे. के लगभग है ।

समिति ने पाया कि पेडो की इंवेट्री (पौधो की संख्या उनकी ऊचाई एवं मोटाई एंव प्रजाति) ठीक से प्रस्तुत नही की गई है अतः उक्त जानकारी पुनः प्रस्तुत करे । ड्रोन व्हीडियोग्राफी के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि गारलेंड ड्रेन खदान क्षेत्र तीनो ओर से खुदी पाई गई यह किस के द्वारा खोदी गई, खोदे गये मटेरियल का क्या हुआ इसका प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्राप्त किया जावे ।

समिति ने प्रकरण में परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि प्रस्तावित क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र करधई की प्रजाति दिख रही है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र में 05 सेंपल प्लाट सघन करधई क्षेत्र मे एवं 05 सेंपल प्लांट खुले हुए/ अंशिक रूप से पाये गये करधई क्षेत्र में अलग–अलग तैयार किये जावे ये सेंपल प्लाट क्षेत्र एक क्षेत्र में न होकर पूरे खदान क्षेत्र में फैले हो तथा सेंपल प्लाट के साथ उनके आंक्षास एवं देशांस भी प्रस्तुत किये जावे जिससे यह स्पष्ट हो कि ये सेंपल प्लाट दूर–दूर स्थित है । चर्चा उपरांत निर्णय लिया है, निम्न जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त किया जाये तथा उसके आधार पर आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ।

- उपरोक्तानुसार 10 सेंपल प्लाट की जानकारी एवं अन्य विवरण के प्रस्तावित खदान क्षेत्र की पौधो की संख्या उनकी ऊचाई एवं मोटाई एंव प्रजाति (ट्री इंवेट्री) भी प्रस्तुत करे।
- पहाड़ी के पूर्व दिशा में एक ओर जो खनन् कार्य दिख रहा है उस संबंध में खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 30/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रेलम (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि 10 सेंपल प्लाट की जानकारी एवं अन्य विवरण वैसा प्रस्तुत नही किया जैसे समिति ने निर्देश दिये गये थे। अतः निम्न जानकारी पुनः प्रस्तुत करें:–

- 10 सेंपल प्लाट की जानकारी एवं अन्य विवरण के प्रस्तावित खदान क्षेत्र की पौधो की संख्या उनकी ऊचाई एवं मोटाई एंव प्रजाति (ट्री इंवेट्री) भी प्रस्तुत करे ।
- मइनिंग एंव नॉन माइनिंग क्षेत्र को दर्शाते हुये पुनरिक्षित सर्फेस प्लान प्रस्तुत करे ।
- खदान के अंदर सघन करधई वृक्ष क्षेत्र को नॉन माइनिंग क्षेत्र मे दर्शाते हुये पौधारोपण योजना प्रस्तुत करें।

14. <u>Case No 8719/2021Shri Jatin Uppal, Near to Haridas Temple, Uppal Sadan, Tehsil & Dist. Tikamgarh, MP - 472001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (40,000 cum per annum) (Khasra No. 261/2), Village - Srinagar Bhata, Tehsil - Tikamgarh, Dist. Tikamgarh (MP) M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida, (U.P.)</u>

.This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 261/2), Village - Srinagar Bhata, Tehsil -

Tikamgarh, Dist. Tikamgarh (MP) 3.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 522वीं दिनांक 27/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण समिति की 645वीं बैठक दिनांक 15/05/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जतिन उप्पल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 250 मीटर की दूरी पर अर्धनिर्मित संरचना दिख रहा है अर्धनिर्मित संरचना के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि श्रमिको के शेल्टर है। दक्षिण दिशा मे 240 मी. की दूरी पर रोड़ है। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है ।** कार्यालय वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमंडल टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 2963 दिनांक 23/07/21 में उल्लेख किया है कि आवेदित क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग में स्थानीय प्रजाती का वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–33 के सरल क्रमांक–8 पर दर्ज है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान पेयजल, रोजगार, जल छिडकाव, इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 40,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.99 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.99 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि(रू.में)
पानी के लिए श्रीनगर भाटा गांव में नया एक हैंडपंप तथा उसके चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा ।	60,000/–

ग्राम श्रीनगर भाटा के प्राथमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर दिया जाएगा	40,000/–
योग	1,00,000/–

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, पीपल, खमेर, चिरौल, करंज, आदि उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	752
	दक्षिण पश्चिम में स्थित ट्रेंच में	सिस्सू, नीम, पीपल, खमेर, चिरौल, करंज, आदि उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	100
2.	ग्राम श्रीनगर भाटा के शासकीय विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर , मोलश्री अन्य स्थानीय प्रजातिया ।	50
3.	ग्राम दुर्गापुर, मवई, दरयाव नगर, लक्ष्मणपुर में वृक्षारोपण वितरण हेतु।	मुनगा, नींबू, अमरूद, मौसम्मी, इमली, सीताफल, आवला, बेल, आदि उपलब्ध देशी और औशधीयुक्त प्रजातियां	2590
4.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	नीम, पीपल, सिस्सू, बरगद, कदम, अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	208
		योग	3600

सिया के पत्र क्रमांक 620 दिनांक 06/06/23 के द्वारा सिया की 790वीं बैठक दिनांक 31/05/23 को लिए गए निर्णय अनुसार – *''सेक द्वारा प्रकरण की अनुशंसा में उल्लेखित किया गया है कि प्रस्तुतुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल इमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुए माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है, उक्त टीप का आधार पर क्या है स्पष्ट नहीं है। अधिकांशतः ऐसी खदानें ''कलस्टर'' में होती है जो कि बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आती है । इसके संबंध में ई.आई.ए. प्रतिवेदन में प्रत्येक खदान की वस्तुस्थिति कलटस्टर मैनेजमेंट प्लांट में उल्लेखित की जानी चाहिए, जिसके आधार पर स्पष्ट अभिमत दिया जा सकता है । अगर ईआईए प्रतिवेदन में यह जानकारी नहीं है तो प्रतिवेदन अधूरा है ।* ***प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक / अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए, तत्पश्चात् ही प्रकरण अनुशंसित करना चाहिए अन्यथा की स्थिति में अनुशंसित प्रकरण में प्रस्तावित शर्तो का पालन भी प्रस्तावक द्वारा न करने को बल मिलेगा ।***

इस व्यवस्था को सुनिश्चित् करने के लिए सेक की टीप द्वारा समय–समय पर कतिपय कलस्टर क्षेत्रों का भ्रमण भी किया जाना चाहिए जैसा कि कुछ प्रकरणों में (Other Than Mining) में किया गया है उल्लेख करते हुए प्रकरण सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।''

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है । उपरोक्त सिया की टीप के संबंध में समिति का निम्न अभिमत है ।

समिति द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के दौरान विशेष प्रकरणों में गूगल इमेज से अवलोकन तथा संबंधित समस्त संवेदनशील बिंदुओं पर विचार–विमर्श किया जाता है। अवलोकन करने पर कई स्थलों पर यह पाया जाता है कि स्थल विशेष की खदानों के चारों ओर अन्य खदानें जो संचालित हो रही है या हो चुकी है उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में समाहित शर्तो क्रमशः फेंसिंग कार्य, गारलेन ड्रेन कार्य, सेटलिंग टैंक निर्माण कार्य एवं पौधारोपण कार्य जो पर्यावरणीय स्वीकृति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अंग है । विशेष रूप से इस तथ्य को भी जानना आवश्यक है कि पूर्व में जो पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा रही है उनका कितना पालन क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा खनन् कार्य से विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है । इस हेतु समिति द्वारा जो प्रावधान किये जाते है, उसकी पुष्टि हो सके । प्रश्न यह है कि समस्त प्रावधान समय पर कियान्वय हो, सामान्यतः गूगल इमेज देखने के दौरान परिलक्षित नहीं होते । प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रत्येक छः माह में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये, जिसका संबंधित विभाग/एजेंसी से पुष्टि कराया जाना उचित होगा कि इस लेखन का वर्णन की आसपास की खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो हो रहा है, जिसे समिति की कार्यवाही विवरण में रिकार्ड में लिया जाने का मुख्य उद्देश्य सिया के संज्ञान में लाना है साथ ही कलेक्टर के माध्यम से संबंधित विभाग जैसे खनिज विभाग द्वारा इसकी पुष्टि कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि मौके की स्थिति का ठीक से आंकलन किया जा सके, क्योंकि कई बार गूगल इमेज से स्थिति स्पष्ट नहीं होती ।

समिति का मुख्य दायित्व प्राप्त प्रकरणों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण/मूल्यांकन करना है तथा प्रकरण विशेष का परीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यदि आवश्यक हो तो प्रकरण विशेष हेतु समिति के सदस्य भी यदि आवश्यक समझें तो मौके पर जाकर अध्ययन कर सकते है ।

आसपास के क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन की पुष्टि कलेक्टर या अन्य एजेंसी से कराने संबंधी निर्णय सिया स्तर से लिया जा सकता है ।

15. <u>Case No 8964/2022 Shri Virendra Pratap Singh S/o Shri Rama Shankar Singh, Village - Pareecha, Dist. Jhansi, UP. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (108227 cum per annum) (Khasra No. 901/2), Village - Bhitri, Tehsil - Niwari, Dist. Niwari (MP).</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 550वीं दिनांक 16/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।
आज दिनांक 15/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में एवं उत्तर–पूर्व की ओर पेड़ लगे दिख रहे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 46 पेड़ लगे है जिसमें से 05 पेड़ काटा जायेगा तथा उसके एवज् में 50 अतिरिक्त पेड लगाना प्रस्तावित है, पूर्व दिशा में 24 मीटर, 49 मीटर एवं 145 मीटर उत्तर दिशा में 112 मीटर पर पर कच्चे घर है, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 324 मीटर पर रोड़ है । जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में उत्तर–पश्चिम दिशा में एवं उत्तर–पूर्व की ओर पेड़ लगे दिख रहे है अतः यह क्षेत्र नॉन माईनिंग एरिया के रूप में छोडा जायेगा (लगभग 1.69 हे.) एवं खनन् कार्य के लिए लगभग 2.214 हे. क्षेत्र उपलब्ध होगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–47 के सरल क्रमांक–16 पर दर्ज है।

इस खदान की जनसुनवाई के दौरान, स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन एवं आंगनवाड़ी में बच्चो को भेजने के संबंध में इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। गूगल इमेज के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 2,35,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 24.12 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 06.45 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि(रू.में)
गाँव भीतरी के ग्रामवाशियों के लिए साल में त्रैमासिक रक्तचाप, मधुमेह और मौखिक स्वच्छता की जाँच के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगवाया जायेगा	30,000/–
ग्राम भितरी के आंगनबाड़ी केन्द्र के विकास में सहयोग	110,000/–
योग	1,40,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4850 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, आँवला, कदम्ब अन्य स्थानीय प्रजातियां ।	1000

2.	ग्राम भितरी के शासकीय विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर,मोलश्री इत्यादि।	40
3.	भितरी, बीजौर, बघाट दुनारा के ग्रामवासीयो में वितरण हेतु	नींबू, बेल इमली, आंवला, कटहल, आम, मुनगा, अमरूद, व अन्य स्थानीय प्रजातियां	3470
4.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर	नीम, पीपल, सेमल, बरगद, चिरौल, कदम्ब, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।	340
		योग	4850

सिया की 790वीं बैठक दिनांक 31/05/23 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

''सेक द्वारा प्रकरण की अनुशंसा में उल्लेखित किया गया है कि प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल इमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुए माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है ।

उक्त टीप का आधार क्या है, स्पष्ट नहीं है । अधिकांशतः ऐसी खदानें ''कलस्टर'' में होती है जो कि बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आती है । इसके संबंध में ई.आई.ए. प्रतिवेदन में प्रत्येक खदान की वस्तुस्थिति कलटस्टर मैनेजमेंट प्लांट में उल्लेखित की जानी चाहिए, जिसके आधार पर स्पष्ट अभिमत दिया जा सकता है । अगर ईआईए प्रतिवेदन में यह जानकारी नहीं है तो प्रतिवेदन अधूरा है । प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक / अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में अनुशंसित प्रकरण में प्रस्तावित शर्तो का पालन भी प्रस्तावक द्वारा न करने को बल मिलेगा ।

इस व्यवस्था को सुनिश्चित् करने के लिए सेक की टीप द्वारा समय–समय पर कतिपय कलस्टर क्षेत्रों का भ्रमण भी किया जाना चाहिए जैसा कि कुछ प्रकरणों में (Other Than Mining) में किया गया है उल्लेख करते हुए प्रकरण सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।''

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है । उपरोक्त सिया की टीप के संबंध में समिति का निम्न अभिमत है ।

समिति द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के दौरान विशेष प्रकरणों में गूगल इमेज से अवलोकन तथा संबंधित समस्त संवेदनशील बिंदुओं पर विचार–विमर्श किया जाता है। अवलोकन करने पर कई स्थलों पर यह पाया जाता है कि स्थल विशेष की खदानों के चारों ओर अन्य खदानें जो संचालित हो रही है या हो चुकी है उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में समाहित शर्तो क्रमशः फेंसिंग कार्य, गारलेन ड्रेन कार्य, सेटलिंग टैंक निर्माण कार्य एवं पौधारोपण कार्य जो पर्यावरणीय स्वीकृति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अंग है । विशेष रूप से इस तथ्य को भी जानना आवश्यक है कि पूर्व में जो पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा रही है उनका कितना पालन क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा खनन् कार्य से विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है । इस हेतु समिति द्वारा जो प्रावधान किये जाते है, उसकी पुष्टि हो सके । प्रश्न यह है कि समस्त प्रावधान समय पर कियान्वय हो, सामान्यतः

गूगल इमेज देखने के दौरान परिलक्षित नहीं होते । प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रत्येक छः माह में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये, जिसका संबंधित विभाग/एजेंसी से पुष्टि कराया जाना उचित होगा कि इस लेखन का वर्णन की आसपास की खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो हो रहा है, जिसे समिति की कार्यवाही विवरण में रिकार्ड में लिया जाने का मुख्य उद्देश्य सिया के संज्ञान में लाना है साथ ही कलेक्टर के माध्यम से संबंधित विभाग जैसे खनिज विभाग द्वारा इसकी पुष्टि कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि मौके की स्थिति का ठीक से आंकलन किया जा सके, क्योंकि कई बार गूगल इमेज से स्थिति स्पष्ट नहीं होती ।

समिति का मुख्य दायित्व प्राप्त प्रकरणों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण/मूल्यांकन करना है तथा प्रकरण विशेष का परीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यदि आवश्यक हो तो प्रकरण विशेष हेतु समिति के सदस्य भी यदि आवश्यक समझें तो मौके पर जाकर अध्ययन कर सकते है ।

आसपास के क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन की पुष्टि कलेक्टर या अन्य एजेंसी से कराने संबंधी निर्णय सिया स्तर से लिया जा सकता है ।

16. <u>Case No 9875/2023 Shri Rajvansh Singh Rathore, R/o Banglow No. 01, Sadar Bajar Sagar, District Sagar (MP)-470001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 Cum Per Year) (Khasra No. 140), Village-Kudari, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 140 P), Village-Kudari, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) 1.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 645वीं बैठक दिनांक 05/05/23 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजवंश सिंह राठौर ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 491 दिनांक 04/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.0 हे. होने के कारण प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेंत्र के उत्तर दिशा में 75 मीटर की दूरी, पश्चिम दिशा में 178 मीटर की दूरी एवं दक्षिण–पूर्व दिशा में 479 मीटर की दूरी पर आबादी है, पश्चिम दिशा में 292 मीटर की दूरी पर, पूर्व दिशा में 436 मीटर की दूरी पर पक्की रोड़ है तथा पश्चिम दिशा में 40 मीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक नाला है । जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के द्वारा किया जावेगा । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर ने पत्र क्रमांक 492 दिनांक 04/04/2023 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत उत्खनन् पट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में

सम्मिलित कर लिया जावेगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

1. **परियोजना प्रस्तावक का शपथ–पत्र कि खनन् कार्य रॉक ब्रेकर द्वारा किया जावेगा।**
2. **खदान क्षेत्र की स्वाईल प्रोफाईल ।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 30/06/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 16/06/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजवंश सिंह राठौर ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन मे जो पौधों की प्रजाति दर्शायी गई है वह खदान स्थल के अनुकुल नही है, अतः पुनरिक्षित वृक्षारोपण योजना पुनः प्रस्तुत करें।

17. <u>Case No 9486/2022 Shri Manish Sharma S/o Shri Ramsevak Sharma R/o 46, Shanti Vihar, Darpan Colony, District Gwalior (MP)-476111 Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.575 ha. (Stone – 2,340 Cum per annum & M-Sand- 30,000 Cum per annum) (Khasra No. 23, 24), Village - Gangapur, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (M.P.).</u>

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 23, 24), Village - Gangapur, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 1.575 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 613वीं दिनांक 22/12/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 16/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मनीष शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तावित खदान शासकीय भूमि पर है जिसका भूमि उपयोग चारागाह के रूप में दर्ज है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में लगभग 25 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़, दक्षिण–पूर्वी दिशा में 960 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण दिशा में 375 मीटर पर नहर है जिनकी सरंक्षण की योजना ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । आवंटित खनन् क्षेंत्र में 01 पेड़ लगा है जिसे काटा जायेगा उनके एवज् में 20 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के पश्चिम दिशा में लगभग 25 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड है अतः 25 मीटर का सेटवेक छोडा जाना प्रस्तावित है, जिसको प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–55 के सरल क्रमांक–168 पर दर्ज है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान बिलौआ को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला मार्ग पूर्णत क्षतिग्रस्त हो चूका है। रोजगार, स्कूल मे कंप्यूटर चाहिए। खदान के चारो ओर तार फेंसिंग, गांव के स्कूल में कंप्यूटर मिलना चाहिए। गांव में पानी का छिड़काव होना चाहिए। हमारे गांव मे पेड़ -पौधे लगाना चाहिए। आस पास की खेती की भूमि पर हुए डस्ट के बिखराव को देखते हुए वह स्थिति प्रमाणित होती है।मजदूरों की चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं कसंबंध में कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त धूल एवं धुएं के कारण हुए बीमारियों से मरीजों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुए है। तालाब अत्यधिक प्रदूषित हो गए है जिसके कारण पीने का पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। स्प्रिंकलर आदि की व्यवस्था नहीं है। रोड का निर्माण नहीं किया गया है। इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि

इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के समिति ने पाया कि वायु मापन के दौरान पी.एम. 10 की वेल्यू अधिक है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 2,340 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम–सेंड – 30,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.77 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 04.89 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि(रू.में)
बच्चो की शिक्षा के लिए गंगापुर के प्राथमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर की व्यवस्था की जाएगी।	40,000/–
ग्राम गंगापुर मे 01 नया हैंडपंप के साथ चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था की जाएगी।	40,000/–
योग	**80,000/–**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन प्रथम वर्ष	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	750
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01.5 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	200
3.	गंगापुर ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, रूद्राक्ष, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	930
4.	शासकीय विद्यालय गंगापुर, में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20
5.	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे।	300
		योग	2200

सिया की 790 वीं बैठक दिनांक 16.05.2023 द्वारा सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है । जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया,

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है । उपरोक्त सिया की टीप के संबंध में समिति का निम्न अभिमत है ।

समिति द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के दौरान विशेष प्रकरणों में गूगल इमेज से अवलोकन तथा संबंधित समस्त संवेदनशील बिंदुओं पर विचार–विमर्श किया जाता है। अवलोकन करने पर कई स्थलों पर यह पाया जाता है कि स्थल विशेष की खदानों के चारों ओर अन्य खदानें जो संचालित हो रही है या हो चुकी है उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में समाहित शर्तो क्रमशः फेंसिंग कार्य, गारलेन ड्रेन कार्य, सेटलिंग टैंक निर्माण कार्य एवं पौधारोपण कार्य जो पर्यावरणीय स्वीकृति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अंग है । विशेष रूप से इस तथ्य को भी जानना आवश्यक है कि पूर्व में जो पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा रही है उनका कितना पालन क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा खनन् कार्य से विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है । इस हेतु समिति द्वारा जो प्रावधान किये जाते है, उसकी पुष्टि हो सके । प्रश्न यह है कि समस्त प्रावधान समय पर कियान्वय हो, सामान्यतः गूगल इमेज देखने के दौरान परिलक्षित नहीं होते । प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रत्येक छः माह में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये, जिसका संबंधित विभाग/एजेंसी से पुष्टि कराया जाना उचित होगा कि इस लेखन का वर्णन की आसपास की खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो हो रहा है, जिसे समिति की कार्यवाही विवरण में रिकार्ड में लिया जाने का मुख्य उद्देश्य सिया के संज्ञान में लाना है साथ ही कलेक्टर के माध्यम से संबंधित विभाग जैसे खनिज विभाग द्वारा इसकी

पुष्टि कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि मौके की स्थिति का ठीक से आंकलन किया जा सके, क्योंकि कई बार गूगल इमेज से स्थिति स्पष्ट नहीं होती ।

समिति का मुख्य दायित्व प्राप्त प्रकरणों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण/मूल्यांकन करना है तथा प्रकरण विशेष का परीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यदि आवश्यक हो तो प्रकरण विशेष हेतु समिति के सदस्य भी यदि आवश्यक समझें तो मौके पर जाकर अध्ययन कर सकते है ।

आसपास के क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन की पुष्टि कलेक्टर या अन्य एजेंसी से कराने संबंधी निर्णय सिया स्तर से लिया जा सकता है ।

18. <u>Case No 9878/2023 Shri Aabhash Gupta, Proprietor, M/s Ananya Engineering Private Limited, R/o Rudraksh Park Phase-II, Flat No. 402, Bawadiya Kalan, District-Bhopal (MP)-462042, Prior Environment Clearance for Lasudiyanathi Murram Quarry in an area of 2.00 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 37/1) Village- Lasudiyanathi, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP). (Temporrry Permit).</u>

This is case of Murram Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 37/1) Village- Lasudiyanathi, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 645वीं बैठक दिनांक 05/05/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री आभाष गुप्ता ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 372 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान खदान शासकीय भूमि (अस्थायी अनुज्ञा) पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेंत्र खुदा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमको लीज इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा हमारे द्वारा खनन् कार्य नही किया गया है, पिट को सरफेस मेप में दिखाया गया है पूर्व दिशा में 100 मीटर एवं दक्षिण दिशा में 200 मीटर पर आबादी है, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 64 मीटर पर एक प्राकृतिक नाला, पश्चिम दिशा में 117 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ एवं उत्तर पश्चिम दिशा में 287 मीटर की दूरी पर नहर है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एवं मुरूम का प्रकरण होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने पत्र क्रमांक 372 दिनांक 08/02/2023 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा ।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 20,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.43 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.55 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम लसुडियानाथी के माध्यमिक विद्यालय में 10 बेंच एवं डेस्क उपलब्ध करवाई जावेगी एवं एक कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जावेगा।	36,000/–

4. निम्नानुसार 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्यक्रम (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव, फेसिग तथा रख–रखाव के साथ प्रथम वर्ष मे अनिवार्य रूप से किया जाये एंव आगामी 02 वर्षो की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा की जायः–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन (प्रथम वर्ष)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– जंगल जलेबी, आवला, नीम, सफेद कस्टार, करंज, चिरोल, आदि।	400
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–नीम, सिस्सू, पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा आदि।	250
3.	ग्राम लसुडियानाथी के नजदीक स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, पाखर, पुत्रंजीवा, कदम्ब, पीपल, मोलश्री, सिस्सू, करंज आदि।	50
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन आदि।	1700

योग	2400

सिया के पत्र क्रमांक 603 दिनांक 06/0.6/23 के द्वारा सिया की 790वीं बैठक दिनांक 31/05/23 को लिए गए निर्णय अनुसार – *''परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान क्षेत्र में पूर्व से उत्खनन् किया जाना परिलक्षित है जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त क्षेत्र में उत्खनन् अन्य प्रस्तावक अथवा इसी प्रस्तावक ने सिया/डिया द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के उपरांत किया गया है अथवा अवैध उत्खनन् की श्रेणी में है ? इस संबंध में संबंधित जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित जानकारी एवं परियोजना प्रस्तावक से भी नोटराईज्ड शपथ–पत्र पर यह सुनिश्चित् किया जाना चाहिए कि बिना पर्यावरण स्वीकृति के उत्खनन् उनके द्वारा नहीं किया गया है । चूँकि सेक की समक्ष परियोजना प्रस्तावक /अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार उपस्थित होते है, उनसे यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि व स्थल भ्रमण करते हैं ।*

सेक द्वारा प्रकरण की अनुशंसा में उल्लेखित किया गया है कि प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल इमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुए माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा रहा है । उक्त टीप का आधार क्या है, स्पष्ट नहीं है । अधिकांशतः ऐसी खदानें ''कलस्टर'' में होती हैजो कि बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आती है । इसके संबंध में ई.आई.ए. प्रतिवेदन में प्रत्येक खदान की वस्तुस्थिति कलटस्टर मैनेजमेंट प्लांट में उल्लेखित की जानी चाहिए, जिसके आधार पर स्पष्ट अभिमत दिया जा सकता है । अगर ईआईए प्रतिवेदन में यह जानकारी नहीं है तो प्रतिवेदन अधूरा है । प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक / अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए, तत्पश्चात् ही प्रकरण अनुशंसित करना चाहिए अन्यथा की स्थिति में अनुशंसित प्रकरण में प्रस्तावित शर्तो का पालन भी प्रस्तावक द्वारा न करने को बल मिलेगा ।

इस व्यवस्था को सुनिश्चित् करने के लिए सेक की टीप द्वारा समय–समय पर कतिपय कलस्टर क्षेत्रों का भ्रमण भी किया जाना चाहिए जैसा कि कुछ प्रकरणों में (Other Than Mining) में किया गया है उल्लेख करते हुए प्रकरण सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।''

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सोहन सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन. सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान खदान क्षेत्र में पूर्व से उत्खनन किया जाना परिलक्षित है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्ज है तथा हमे यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा सैंधातिक सहमति माह – जनवरी 2023 मे प्राप्त हुयी है तथा एकल पत्र मे भी पिट का उल्लेख नही किया गया है तथा समिति की 645वीं बैठक दिनांक 05/05/23 मे भी उक्त पिट का उल्लेख किया गया है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 645वीं बैठक दिनांक 05/05/23 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

19. <u>Case No 9860/2023 Shri Sohan Singh S/o Shri Vrandavan R/o Village Asravad Buzurg, Tehsil Indore, District Indore (MP)-452016. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.10 ha. (7000 Cum Per Year) (Khasra No. 199/1/2) Village-Malikhedi, Tehsil-Indore, District-Indore (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 199/1/2) Village-Malikhedi, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) 1.10 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सोहन सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन. सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 544 दिनांक 24/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है अतः यह प्रकरण Violation श्रेणी के अंतगर्त आता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंवटित है खदान क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है खदान क्षेत्र रेणुका मंदिर से 224 मीटर की दूरी पर है तथ पूर्व दिशा में 70 मीटर एवं उत्तर दिशा में 212 मीटर पर औद्योगिक शेड दिखाई दे रहे है । पूर्व दिशा में 185 मीटर की दूरी पर आवासीय मकान दिखाई दे रहे है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनके द्वारा अज्ञानतावश कि प्रश्नाधीन खदान बिना पर्यावरणीय स्वीकृति लिये बिना वर्ष 2016 में खनन् कार्य किया है अतः यह प्रकरण Violation श्रेणी के अंतगर्त आता है । एकल प्रमाण पत्र अनुसार उत्खनिपट्टा वन क्षेत्र से 40 मीटर की दूरी पर हेने के कारण पूर्व में संभागीय आयुक्त समिति से 50 मीटर की दूरी छोड़कर अनुमति प्राप्त है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर ने पत्र क्रमांक 544 दिनांक 24/02/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि खदान के अनुबंध/निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् डीएसआर रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा।

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in above notifications and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. पश्चिम दिशा मे एक अन्य खदान स्थित है एंव खदान के चारो ओर बहुत से निर्मित भवन दिख रहे है। अतः प्रत्येक संरचना जैसे भवन/आवास/उद्योग आदि के उपयोग के बारे में बतायें एंव खनन स्थल से 50 मी. की दूरी पर कौन–कौन सी संरचना एंव वर्तमान उपयोग आदि तथा यदि वहां पर औद्योगिक कार्य हो रहा है तो कितने श्रमिक कार्य कर रहे है, और यदि आवासीय क्षेत्र है तो कितने लोग निवासरत् है और निवासियो पर खदान के क्या प्रभाव पडेगे । ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. पहाड़ी क्षेत्र पर खनन के परिणामस्वरूप पहाड़ का स्वरूप बदल जायेगा । इस बदलाव के कारण कितना जल ग्रहण क्षेत्र कम होगा एंव जल ग्रहण क्षेत्र मे हुयी कमी को किस प्रकार से प्रतिपूर्ति की जायेगी इसकी योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
3. खदान क्षेत्र के पास में पहाड़ी पर स्थित रेणुका टेकरी का ऐतिहासिक महत्व एंव इसके बारे में राज्य पुरातत्व विभाग/जिला स्तर कार्यालय से प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें।
4. खदान क्षेत्र कुछ भाग खुदा हुआ है। इस संबंध मे पंचायत की स्वीकृति आदेश यदि कोई पारित हुआ था उसका पालन प्रतिवेदन एंव स्वीकृत अनुसार जिन कार्यो मे उपयोग होना था उसका उपयोग प्रमाणिकता ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. PP shall submit DFO NOC with respect to H'ble Supreme Order issued on dated 03.06.2022 as Ralamandal WLS existed in the district.
6. No mining operations till the grant of EC.
7. Project description, its importance and the benefits.
8. Cummulative assessment of all the mines located in the 2.5 kms of the allotted mines shall be carried-out and discussed in the EIA report.
9. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
10. Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.
11. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
12. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO_2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 6 locations in the study area of 10 Km.
13. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.

14. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
15. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
16. Management of solid waste and other mine waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and top soil management plan shall be discussed in the EIA report.
17. Soil profile for suggesting plantation species through trial pits shall be studies and discussed in the EIA report.
18. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
19. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
20. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
21. The PP shall also discuss and calculate the penalty prescribed in EIA report for violation cases as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021.

सिया के पत्र क्रमांक 630 दिनांक 06/06/23 के द्वारा *''सेक द्वारा पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रकरण क्रमांक 9055/2022 में सेक की 560वीं बैठक दिनांक 12/03/2022 में पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई थी, जिसके आधार पर सिया द्वारा 714वीं बैठक दिनांक 24/03/2022 को निरस्त किया गया । इसी लीज क्षेत्र पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन में सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/2023 में टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई है ।*

अतः जो प्रकरण संवेदनशीता के दृष्टिगत पूर्व में निरस्त किया जा चुका है उसी लीज क्षेत्र पर पुनः पूर्व प्रस्तावक से प्राप्त नवीन आवेदन पर टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा क्यों की गई के संबंध में प्रकरण स्पष्टीकरण हेतु प्रकरण सेक को अग्रेषित किया गया है''।

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सोहन सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन. सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए ।

सिया के पत्र क्रमांक 630 दिनांक 06/06/23 की पृच्छा के संदर्भ में समिति की 560वीं बैठक दिनांक 22/03/2022 को लिये गये निर्णय का अवलोकन हो जिसमें *''परियोजना के प्रस्तावित स्थल का गूगल*

इमेज (11/2017 तथा 04/2021) के अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन् कार्य किया जा रहा है तथा यह ई.आई.आई नोटिफिकेशन, 2006 के अनुसार वॉयलेशन (Violation) का प्रकरण है । अतः इस स्थिति में इस प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता अतः नस्ती सिया को आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जावे ।''

प्रकरण के अवलोकन में समिति ने पाया कि चूँकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण वॉयलेशन के कारण प्रकरण (प्रकरण क0. – 9055/2022) निरस्त होने के कारण नियमानुसार वॉयलेशन विंडो में उसी लीज क्षेत्र पर पुनः पूर्व प्रस्तावक से प्राप्त नवीन आवेदन पर समिति ने 644वीं बैठक दिनांक 12/05/23 को की गई वॉयलेशन टॉर की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती है ।

20. <u>Case No 9859/2023 Ku. Mamta D/o Shri Babulal R/o Village Asravad Buzurg, Tehsil Indore, District Indore (MP)-452016. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.80 ha. (7000 Cum Per Year) (Khasra No. 199/1/2) Village-Malikhedi, Tehsil-Indore, District-Indore (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 199/1/2) Village-Malikhedi, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) 1.80 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सोहन सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 542 दिनांक 24/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है अतः यह प्रकरण Violation श्रेणी के अंतगर्त आता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंवटित है खदान क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा रेणुका मंदिर से 239 मीटर की दूरी पर है । औद्योगिक शेड दिखाई दे रहे है जो पूर्व दिशा में 185 मीटर की दूरी, उत्तर दिशा में, 223 मीटर पर पश्चिम दिशा में एवं 280 मीटर एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनके द्वारा अज्ञानतावश कि प्रश्नाधीन खदान बिना पर्यावरणीय स्वीकृति लिये बिना वर्ष 2016 में खनन् कार्य किया है अतः यह प्रकरण Violation श्रेणी के अंतगर्त आता है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन कार्य हेतु ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है। एकल प्रमाण पत्र अनुसार वन मण्डलाधिकारी के पूर्व पत्र क्रमांक 9386 दिनांक 04/10/2007 अनुसार वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की दूरी आदेश के पूर्व से स्वीकृत खदानों पर लागू नहीरं होंगे, पर उतखनिपट्टा स्वीकृत किया गया था । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–48 के सरल क्रमांक–96 पर दर्ज है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पश्चिम दिशा मे एक अन्य खदान

स्थित है एंव खदान के चारो ओर बहुत से निर्मित भवन दिख रहे है। अतः प्रत्येक संरचना जैसे भवन/आवास/उद्योग आदि के उपयोग के बारे में बतायें एंव खनन स्थल से 50 मी. की दूरी पर कौन–कौन सी संरचना एंव वर्तमान उपयोग आदि तथा यदि वहां पर औद्योगिक कार्य हो रहा है तो कितने श्रमिक कार्य कर रहे है, और यदि आवासीय क्षेत्र है तो कितने लोग निवासरत् है। गूगल एमेज अनुसार इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in above notifications and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. पश्चिम दिशा मे एक अन्य खदान स्थित है एंव खदान के चारो ओर बहुत से निर्मित भवन दिख रहे है। अतः प्रत्येक संरचना जैसे भवन/आवास/उद्योग आदि के उपयोग के बारे में बतायें एंव खनन स्थल से 50 मी. की दूरी पर कौन–कौन सी संरचना एंव वर्तमान उपयोग आदि तथा यदि वहां पर औद्योगिक कार्य हो रहा है तो कितने श्रमिक कार्य कर रहे है, और यदि आवासीय क्षेत्र है तो कितने लोग निवासरत् है और निवासियो पर खदान के क्या प्रभाव पडेगे । ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. खदान क्षेत्र के पास में पहाड़ी पर स्थित रेणुका टेकरी का ऐतिहासिक महत्व एंव इसके बारे में राज्य पुरातत्व विभाग/जिला स्तर कार्यालय से प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें।
3. PP shall submit DFO NOC with respect to H'ble Supreme Order issued on dated 03.06.2022 as Ralamandal WLS existed in the district.
4. The PP shall stop all the mining operations till the grant of EC.
5. Project description, its importance and the benefits.

6. Protection plan wrt for nearby temple , industry and human settlement shall be prepared and discussed in the EIA report.
7. Cummulative assessment of all the mines located in the 2.5 kms of the allotted mines shall be carriedout and discussed in the EIA report.
8. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
9. Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.
10. There is slight difference in the area of sanctioned lease in the DSR and approval letter hence same shall be redtified with the concerned MO and attached with the EIA report.
11. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
12. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO_2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 6 locations in the study area of 10 Km.
13. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
14. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
15. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
16. Management of solid waste and other mine waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and top soil management plan shall be discussed in the EIA report.
17. Soil profile for suggesting plantation species through trial pits shall be studies and discussed in the EIA report.
18. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
19. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

20. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
21. The PP shall also discuss and calculate the penalty prescribed in EIA report for violation cases as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021.

सिया के पत्र क्रमांक 634 दिनांक 06/06/23 के द्वारा *''सेक द्वारा पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रकरण क्रमांक 9062/2022 में सेक की 560वीं बैठक दिनांक 12/03/2022 में पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई थी, जिसके आधार पर सिया द्वारा 714वीं बैठक दिनांक 24/03/2022 को निरस्त किया गया । इसी लीज क्षेत्र पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन में सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/2023 में टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई है ।*

अतः जो प्रकरण संवेदनशीता के दृष्टिगत पूर्व में निरस्त किया जा चुका है उसी लीज क्षेत्र पर पुनः पूर्व प्रस्तावक से प्राप्त नवीन आवेदन पर टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा क्यों की गई के संबंध में प्रकरण स्पष्टीकरण हेतु प्रकरण सेक को अग्रेषित किया गया है''।

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सोहन सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन. सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए ।

सिया के पत्र क्रमांक 634 दिनांक 06/06/23 की पृच्छा के संदर्भ में समिति की 560वीं बैठक दिनांक 22/03/2022 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन हो जिसमें *''समिति ने पाया कि परियोजना के प्रस्तावित स्थल का गूगल इमेज (11/2017 तथा 04/2021) के अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन् कार्य किया जा रहा है तथा लीज में एक पेड 10/2020 की गूगल इमेज में दिख रहा है जो वर्तमान में काटा जा चुका है, इस प्रकार यह प्रकरण ई.आई.आई नोटिफिकेशन, 2006 के अनुसार वॉयलेशन (Violation) का प्रकरण है । अतः इस स्थिति में इस प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता तथा एकल प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रस्तावित खदान से रालामण्डल अभ्यारण्य 4.96 किलोमीटर दूर होने के कारण (05 किलोमीटर से कम) प्रकरण श्रेणी–ए का है अतः नस्ती सिया को आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जावे।''*

प्रकरण के अवलोकन में समिति ने पाया कि चूँकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण वॉयलेशन के कारण प्रकरण (प्रकरण क्र0. – 9062/2022) निरस्त होने के कारण नियमानुसार वॉयलेशन विंडो में उसी लीज क्षेत्र पर पुनः पूर्व प्रस्तावक से प्राप्त नवीन आवेदन पर समिति ने 644वीं बैठक दिनांक 12/05/23 को की गई वॉयलेशन टॉर की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती है ।

21. <u>Case No 9864/2023 Shri Manoj Agarwal S/o Shri Siyaram Agarwal R/o Kali Mata Mandir Ke Pass Naingarh Road, District- Morena (MP)-476001. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.176 ha. (31920 Cum Per Year) (Khasra No. 2941) Village-Dhanela, Tehsil-Morena, District-Morena (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2941) Village-Dhanela, Tehsil-Morena, District-Morena (MP) 3.176 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मनोज अग्रवाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1124 दिनांक 21/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंवटित है, खदान क्षेत्र खुदा हुआ है (गूगल इमेज वर्ष 2020) जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व से खुदा है तथा हमको लीज इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा हमारे द्वारा खनन् कार्य नही किया गया है जिसको माइनिंग प्लान मे प्रस्तुत किया गया है। जिसके दक्षिण दिशा में 114 मीटर दूरी पर पक्की रोड़ है, पूर्व दिशा में 19 मीटर की दूरी पर एक कच्ची संड़क है, दक्षिण पूर्व दिशा में 211 मीटर की दूरी पर आबासीय मकान है एवं पश्चिम दिशा में 265 मीटर की दूरी पर जल रोकने की संरचना है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) द्वारा पत्र क्र0. 1124 दिनांक 21/10/22 द्वारा उल्लेख किया है, कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोडी जायेगी। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 114 मीटर दूरी पर पक्की रोड़ है, पूर्व दिशा में 19 मीटर की दूरी पर एक कच्ची संड़क है, दक्षिण पूर्व दिशा में 211 मीटर की दूरी पर आबासीय मकान है एवं पश्चिम दिशा में 265 मीटर की दूरी पर जल रोकने की संरचना है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2- प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।

सिया की 789 बैठक दिनांक 30.05.2023 द्वारा सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है । जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमे परियोजना प्रस्तावक श्री मनोज अग्रवाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि सिया कार्यालय द्वारा उल्लेख किया गया है, कि गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान एक अन्य खदान के साथ ओव्हर लेप होना परिलक्षित है। उक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक/ पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि दोनो खदानों का डी.जी.पी.एस. सर्वे कराकर खदान के प्रमाणित अक्षांश–देशांस प्रस्तुत करेंगे परन्तु कौन सी खदान ओव्हरलेप हो रही है इसकी जानकारी सिया द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया जावें जिससे परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

22. <u>Case No 9800/2023 Mr. Pradeep Kumar Hedau, Executive Engineer Div.3, Madhya Pradesh Housing & Infrastructure Development Board Bhopal, Amrapali Arcade, Bagmugaliya, Bhopal (MP)-462043, Prior Environment Clearance for Re-densification of Collectorate Complex and Professor's colony [Total Built Up Area 1,41,545.00 Sq.mt. (1,01,609.00 Sq.mt. Site 1 + 39,936.00 Sq.mt. Site 2] at Khasra No. 106, 107, 108, 109, 1531/108, 1533/108, 1572/109, 1968/110,110, 9, 1382/1, 1382/2, 1382/4, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 1384, 1385, 1386/1, 1386/3, 1387/2, 1424/2, 1425/2, 1884/1424, 1885/1424, 1873/1383/1, 1873/1383/3, 1977/1383/2 Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP)</u>

This is a case of Prior Environment Clearance Re-densification of Collectorate Complex and Professor's colony [Total Built Up Area 1,41,545.00 Sq.mt. (1,01,609.00 Sq.mt. Site 1 + 39,936.00 Sq.mt. Site 2] at Khasra No. 106, 107, 108, 109, 1531/108, 1533/108, 1572/109, 1968/110,110, 9, 1382/1, 1382/2, 1382/4, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 1384, 1385, 1386/1, 1386/3, 1387/2, 1424/2, 1425/2, 1884/1424, 1885/1424, 1873/1383/1, 1873/1383/3, 1977/1383/2 Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP).

In the SEAC 636th meeting dated 13.04.2023 the case was presented by PP Shri Pradeep Hadao, EE, Madhya Pradesh Housing & Infrastructure Development Board Bhopal and there consultant Shri Mujammil Khan, M/s. Insitu Enviro Care, Bhopal alongwith Mr. Avneesh Saxena, Project Architect.

During presentation it was observed by the committee that the project is divided in the two sites located faraway from each other and PP as per SEIAA OM no 1216 dated 20/06/19, B-2, has not furnished the T&CP approved lay out. Thus PP was asked to furnish the same. Total Excvated material 18595 Cum. out this 3719 Top soil will be used for landspcaing and 14876 cum. remaining excavted materials resued in backfilling and leveling at site but the details of area available for backfilling are not mentioned. Simillarly, the top soil shall be used for plantation. Dual plumbing is proposed to be installed at the project site for flushing but how the treated water from CETP will be bring back to the project site shall needs to be furnished. Committee also observed that some details are missing in online form submitted by PP (such as Point No. 9.2 to 9.6 & 12, 12.7) which shall be revised and submitted. After presentation, PP was asked to submit response on following issues raised during presentation:

- ✓ The project is divided in the two sites different sites located faraway from each other and PP as per SEIAA OM no 1216 dated 20/06/19, B-2, has not furnished the T&CP approval. Thus PP was asked to furnish the copy of T&CP approved lay out.
- ✓ Credible proof showing existing land use of the proposed sites as per Govt. Norms.
- ✓ Total Excvated material 18595 out this 3719 Cum., top soil will be used for landspcaing and remaining 14876 cum. excavted materials resued in backfilling and leveling at site but the details of area available for backfilling are not provided hence the same shall be furnished. Simillarly, PP's commitment that the top soil shall be used only for plantation only.
- ✓ Dual plumbing is proposed to be installed at the project site for flushing but how the treated water from CETP will be brought back to the project site shall needs to be furnished with all details.
- ✓ Details of existing water recharge potential and how it will be compensated with the proposed expansion shall be submitted.
- ✓ Committee also observed that some details are missing in online form submitted by PP (such as Point No. 9.2 to 9.6 & 12, 12.7) hence necessary corrections shall be made and submitted.
- ✓ Demolition Waste proposed to be disposed through Backfilling and leveling but the details of area available marked for backfilling and leveling are not mentioned. Thus the same shall be provided.
- ✓ PP shall also examine whether the Bhoj Wetland Rules are applicable on this project or not and shall obtained permission form the compitent authority.
- ✓ Total 968 existing tree are on site area Site 1, out of this 317 tree proposed to be uprooted and 80 trees to be transplant and 61 trees on Site 2 out of which 16 tree are proposed to be uprooted with the permission of compitent authority. The inventory presented by PP does not contain the details upto species level of all the trees proposed to be either uprooted or transplanted. Thus PP was asked to submit comprehensive inventory of all the trees with names upto species level.

- ✓ The tree canopy area shall be calculate at both the sites with the help of satellite/drone imagenary and submitted. Minimum 20% of the tree canopy area shall be ratined.
- ✓ 400 plants are proposed to be planted for this project thus details of available area and details of spacing proposed between each plants shall be calculated and submitted with estimation of its tree canopy cover after 10 years.
- ✓ 80 trees are proposed for transplantation alongwith Neem. Committee desires that PP shall provide the available literature which indicates that the transplantation of Neem is successful.
- ✓ Committee also suggested that transplantation proposal shall be re-vealuated as the success rate is very less and also not cost effective. In liew, PP can explore the 20 times commensurate plantation on other locations within the city and submit a proposal for this.
- ✓ Estimation of carbon footprint as discussed during presentation and mitigation plan shall be submitted. Renewal Energy Department shall also be consulted to harness maximum solar energy potential from this project and details shall be submitted.
- ✓ Proposed Green Building Code for this project shall be submitted.

The project proponent submitted clarification on 12.06.2023 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 636th meeting held on 13.04.2023. Wherein PP submitted following reply:

Hence, the case was scheduled for presentation in the SEAC 654th the meeting dated 16.06.2023. Wherein the case was presented by PP Shri Pradeep Hadao, EE, Madhya Pradesh Housing & Infrastructure Development Board Bhopal and Env. Consultant Shri Mujammil Khan, M/s. Insitu Enviro Care, Bhopal alongwith Mr. Avneesh Saxena, Project Architect. PP presented following point-wise query details:-

- **The project is divided in the two sites different sites located faraway from each other and PP as per SEIAA OM no 1216 dated 20/06/19, B-2, has not furnished the T&CP approval. Thus PP was asked to furnish the copy of T&CP approved lay out.**

  PP submitted - The modification in Land Use Change in accordance with Bhopal Development Plan 2005 is already in Process, has been undertaken on 15th June,2023, and will be finalized soon. With reference to the memo the drawing to be submitted to Town and Country planning is being attached herewith for perusal. Modification of land-use in Bhopal Development Plan is in process same is notified on 05.05.2023 in daily newspapers. **The cuttings are enclosed herewith for reference. The T&CP approved Layout will be submitted henceforth in 45 days.**
- **Credible proof showing existing land use of the proposed sites as per Govt. Norms.**

PP submitted – Modification of land use in Bhopal Development Plan is in process same is notified on 05.05.2023 in daily newspapers. The final hearing was held on 15-06-23, and will be sanctioned soon. **The same will be submitted henceforth in 45 days.**

- **Total Excvated material 18595 out this 3719 Cum., top soil will be used for landspcaing and remaining 14876 cum. excavted materials resued in backfilling and leveling at site but the details of area available for backfilling are not provided hence the same shall be furnished. Simillarly, PP's commitment that the top soil shall be used only for plantation only.** PP submitted - Out of 18595cu.m. excavated material available, 20% of it (i.e 3719Cu.m) will be used as Top Soil for Plantation only. 65% of the excavated material (i.e 9670Cu.m) will be used for backfilling in the foundation area of the buildings. The remaining quantity of excavated material (i.e 5206 Cu.m) will be used for leveling as marked in the attached drawing. We assure to use the top soil for plantation purpose only.
- **Dual plumbing is proposed to be installed at the project site for flushing but how the treated water from CETP will be brought back to the project site shall needs to be furnished with all details.** PP submitted - A pipeline prepared to be lay down from the CETP to the project site. Drawings of the same has been displayed during presentation.
- **Details of existing water recharge potential and how it will be compensated with the proposed expansion shall be submitted.**
  PP submitted - Total water recharge potential from site 1 and site 2 is approx. 22753.7 M3/Annum (18808.2 M3/Annum site 1 + 3945.504 M3/Annum site 2). Assuming Recharge potential is 18.75mm/hr .

  After the completion of the project and rainwater harvesting structures, the total ground water recharge would be 115783.21 cum/annum (87652.9 + 28130.4). The retention period for the rainwater was assumed 20minutes. Proposed recharge potential to be created by the project would improve ground water regime of the area and would contribute to positive groundwater environment. 20 No. of RWH pits proposed of 16 Cum each recharging capacity.

- **Committee also observed that some details are missing in online form submitted by PP (such as Point No. 9.2 to 9.6 & 12, 12.7) hence necessary corrections shall be made and submitted.**
  PP has made all desired correction under point no. **9.2 to 9.6 & 12, 12.7.**
- Demolition Waste proposed to be disposed through Backfilling and leveling but the details of area available marked for backfilling and leveling are not mentioned. Thus the same shall be provided. PP submitted following detilas in the given below table – In

this context. PP submitted that total C&D Waste 68511 cum (site- 31610.8cum + site II 36900 cum.).

DEMOLITION WASTE (DEBRIS)		68512	Cu.m	(102768 Tons)
SITE -1 PROFESSOR COLONY				
SL NO	LOCATION	AREA (IN SQM)	DEPTH (IN M)	QUANTITY (IN CU.M)
1	Location F	3418	0.85	2905.3
2	Location G	1745	0.9	1570.5
3	Location H	3097	0.9	2787.3
4	Location A (Smart Road)	18695	0.8	14956
5	Low Lying area along Banganga Nallah at Ravindra Bhawan for parking purpose (Lead 0.5km)	4943	1.9	9391.7
	TOTAL			31610.8
SITE -2 OLD SECRETARIAT				
1	PLOT -1 (CLP-1)	40000	0.8	32000
2	PLOT-2 (CLP-2)	7000	0.7	4900
	TOTAL B	47000		36900
	TOTAL A+B			68511

- PP shall also examine whether the Bhoj Wetland Rules are applicable on this project or not and shall obtained permission form the compitent authority. PP submitted - the project site 1 is 302.55 meters away, and site 2 is 281.38 meters away from the upper lake. As per the Bhopal Development Plan (BDP) 2005, we have to maintain a 50 m distance from the upper lake. Hence, our project does not fall under the wetland rule.
- Total 968 existing tree are on site area Site 1, out of this 317 tree proposed to be uprooted and 80 trees to be transplant and 61 trees on Site 2 out of which 16 tree are proposed to be uprooted with the permission of compitent authority. The inventory presented by PP does not contain the details upto species level of all the trees proposed to be either uprooted or transplanted. Thus PP was asked to submit comprehensive inventory of all the trees with names upto species level.
  PP submitted existing tree inventory with girth details, height & species. Permission to be taken for tree felling from the competent authority. The sumrized tree inventory is given below -

Total Trees	**968 nos.**	**100%**
Tree to be cut	390 **nos.**	40% approx.
Tree to be save	573 **nos.**	59% approx.
Tree to be transplant	05 **nos.**	Less than 1%

- The tree canopy area shall be calculate at both the sites with the help of satellite/drone imagenary and submitted. Minimum 20% of the tree canopy area shall be ratined.
  PP submitted that Tree Canopy area is calculated based on satellite image and AutoCad. We assure to retain more than 30% of the canopy area.The detila of Tree Canopy area are as given below:
  - Total Canopy area: 34,665sqm
  - Canopy area to be Cut: 17455sqm
  - Canopy area to be saved: 17210sqm

- 4000 plants are proposed to be planted for this project thus details of available area and details of spacing proposed between each plants shall be calculated and submitted with estimation of its tree canopy cover after 10 years. PP submitted following table in this above context .

TREE INVENTORY - PROPOSED							
LOCATION	**SCIENTIFIC NAME**	**POPULAR NAME**	**CANOPY coverage (in feet)**	**SIZE OF TREES to be selected**	**DISTANCE (in feet)**	**Maximum HEIGHT (in feet)**	**No. of trees**
ROAD SIDE	AnthocephalusKadamba	Kadamba	40' - 50'	5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	20' c/c	60' & above	90
	Cassia Nodosa	Pink Cassia			20' c/c	25' & above	120
	Azadirachtaindica	Neem	As much as its height	5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	20' c/c	70'-80'	100
	Delonixregia	Gulmohar	30'-40'	5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	20' c/c	40' -50'	100
	Ficusvirens	White Fig	As much as its height	5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	20' c/c	79'-89'	40
	Peltophorumferrugineum	Yellow Gulmohar	40'-55'		20' c/c	50'-70'	100
	PithecellobiumSaman	Raintree	60'-70'	5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	20' c/c	70'-80'	40
	Pongamiaglabra	Karanj	25'-35'	5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	20' c/c	40' -50'	60

	PutranjeevaRoxburghi	Putranjeeva	20'-25'		20' c/c	35'-40'	50
	Swietenia mahogany	Mehgani			20' c/c	90-115'	60
	LagerstromeaSpeciosa	Pride of India		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	15' c/c	35'-45'	60
	Bauhinia Blakeana	Kachnar		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	20' c/c	20'-25'	80
Total							**900**
URBAN FOREST							**47000 Sqm**
	Terminalia Arjuna	Arjun			8'-10'	80'-100'	50
	Salix tetrasperma	Indian Willow			8'-10'	60'-70'	25
	Pride of India	Pride of India			8'-10'	35'-45'	50
	LagerstromeaFloreginae	Jharul					40
	Canna				1½' c/c	2'	80
	Heliconia				2'-3'	3'-4'	100
	Mimusopselengi	Maulshree			8'-10'	52'	100
	Tectona Grandis	Teak		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	8'	100'	20
	Terminalia Chebula	Harad		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	8'	90'	30
	Terminalia belerica	Bahera		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	8'	90'	20
	FicusReligiosa	Peepal			8'	75'	20
	MillingtoniaHortensis	Aakash Neem		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	8'	75'	30
	Ficusbenghalensis	Bargad		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	8'	70'	40
	Bassia (Madhuca) Latifolia	Mahua		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	8'	75'	30
	Ceibapentandra	Kapok			8'	60'	50
	ErythrinaVariegata (Indica)	Pangara			8'	45'	60
	Gliricidea			5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	8'	35'	75
	AcassiaAuriculiFormis			5-6' ht plant with atleast 4 to	8'	35'	100

				5 branches			
	Butea Monosperma	Palash		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	8'	35'	80
	Bauhinia Purpurea	Kachnar			8'	30'	75
	ManilkaraHxandra	Khirni			8'	30'	80
	AcassiaCuncina	Shikhakai			8'	20'	75
	DisopyrosPeregrina	Tendu			8'	20'	80
	Aegle Marmelos	Bel			8'	25'	75
	Murraya Exotica	Madhukamini			6'	15'	100
	LagerstromeaIndica	Sawni			6'	15'	90
	Tabrena Montana	Chandni			6'	10'	100
	* As guided by the Honourable Chairman						
	Schleicheraoleosa	Kusum Tree				10'	80
	Mitragynaparviflolia	Kaim tree			15'	50'	50
	Bambusa vulgaris	Bamboo			upto 1'	100'	100
	Robiniapseudoacacia	Robinia			26'	50'	50
	Total						**2000**

CENTRAL VERGE	**1180 Sq m**						
	Murraya Exotica	Madhukamini		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	2' to 2½'	Upto 15'	15
	Hamelia Patens			5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	1½'-2'	4'-5'	10
	Cassia Biflora				2' to 2½'	4'-5'	15
	TecomaGaudichudi				2' to 2½'	5'-8'	20
	PuincianaPulcherima	Gulturra			2' to 2½'	5'-8'	25
	Tabrena Montana			5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	1½'-2'	4'-5'	15
Total							**100**
CAMPUS	**12000 Sqm**						

	Grevillea robusta	Silver Oak		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	2' to 2½'	Upto 15'	60
	Spathodeacampanulata	Tulip tree		5-6' ht plant with atleast 4 to 5 branches	8'-10'c/c		50
	Tabebuiaavellanedae				8'-10'c/c		40
	Chukrasia				8'-10'c/c		30
	MicheliaChampaka				8'-10'c/c	50'-60'	75
	Mimusopselengi				8'-10'c/c	45'-60'	70
	Conocarpus				8'c/c		60
	Bottle Palm				15' c/c	40'-45'	80
	Foxtail palm				12' c/c	40'-45'	80
	Erica Palm				5'-6' c/c	25'-30'	80
	CycusCicinicaris					4'-5'	40
	Plumeria Alba				8'-10' c/c	5'-6'	110
	PlumeriaPudeco				3'-6' c/c	15'-20'	60
	Juniper Chinesis				5'-6'	6'-8'	60
	Topiary Casuarina				6'-8'	4'-6'	30
	Topiary golden botlle brush				6'-8'	6'-8'	75
	Total						**1000**

- 80 trees are proposed for transplantation alongwith Neem. Committee desires that PP shall provide the available literature which indicates that the transplantation of Neem is successful.

  PP submitted that As guided by the H'ble committee and after much thought and reviews we shall be transplanting only 5-10 trees of variety which are acceptable for transplantation such as Peepal, Gooler, Bargad etc.

Total Trees	**968 nos.**	**100%**
Tree to be cut	390 **nos.**	40% approx.
Tree to be save	573 **nos.**	59% approx.
Tree to be transplant	05 **nos.**	Less than 1%

- Committee also suggested that transplantation proposal shall be re-evaluated as the success rate is very less and also not cost effective. In liew, PP can explore the 20 times commensurate plantation on other locations within the city and submit a proposal for this.
  PP submitted that as guided by the H'ble committee and after much thought and reviews we shall be transplanting only 5-10 trees of variety which are acceptable for transplantation such as Peepal, Gooler, Bargad etc.
- Estimation of carbon footprint as discussed during presentation and mitigation plan shall be submitted. Renewal Energy Department shall also be consulted to harness maximum solar energy potential from this project and details shall be submitted.
  PP submitted following detatils of carbon footprint generation sources and their mitigative measures.

  CO2 Emission (Construction Phase): The total CO_2 emissions has been calculated from power requirement for both phases by assuming sources for power requirement, Vehicles & LPG requirement. Total CO_2 Generation will be 841 tonne/ Year for construction phase. CO_2 Emission has been calculated from DG operation by Diesel consumption has been calculated for each DG proposed and fuel utilized by dumpers and JCB.

Total Energy Consumption	**Grid (Electricity Company)**	**DG Set 100 kVA**	**DG Set 200 kVA**	**Units**
2000	1500	100	200	Units (kWh)
CO2 Emission Factor	0.82	3.75	3.22	kg/CO_2/kWh
Total CO2 / Day	1230	375	644	kg/CO_2 / Day
Total CO2 / Month	36900	11250	19320	kg/CO_2 / Month
CO_2 Generation for Units Consumed from Electricity Company			36900	kg/CO_2/month
CO_2 Generation for Units Consumed from DG Set			30570	kg/CO_2/month
CO_2 Emission from LPG Cylinder (50 Cylinders)			2161	kg/CO_2/month
CO_2 Emission from Personal Vehicles Considering 50 L / month Fuel			450	kg/CO_2/month
Total CO_2 Generation kg/ month			70080	kg/CO_2/month
Total CO_2 Generation tonne/ month			**70**	**t/CO_2/month**
Total CO_2 Generation tonne/ Year			**841**	**t/CO_2/year**

CO2 Emission (Construction Phase-Concrete): The total CO_2 emissions has been calculated from Cement / Concrete (PCC & RCC) quantity (51,919 cum). So, per year emission The CO_2 emission from the raw material will be 21.90 tonne / year.

TOTAL CO2 EMISSION & MITIGATION MEASURES

S. No.	Phase	CO2 Emission (ton/year)	Mitigation Measures
1	Construction Phase	853	we are providing the more than 28% green energy (solar power) 1277.85 KW which will reduce the power demand as will reduce greenhouse gas emission. Additionally, proposing the 4000 plantation which also will benefit to reduce the carbon emission.
2	Operation Phase	1780	

CO2 Emission (Operation Phase): The total CO_2 emissions has been calculated from power requirement for both phases by assuming sources for power requirement, Vehicles & LPG requirement. Total CO_2 Generation will be 1780 tonne/ Year. Coal CO_2 emissions factor is taken from the User Guide, Version 14.0, for CO_2 Baseline Database for the Indian Power Sector, December 2018 by Government of India, Ministry of Power, Central Electricity Authority. CO_2 Emission has been calculated from DG operation by Diesel consumption has been calculated for each DG proposed. Daily Diesel requirement for the DG operation will be 376 Liter / day for operation phases.

Total Energy Consumption	Grid (Electricity Company)	DG Set 400 kVA	DG Set 400 kVA	DG Set 200 kVA	Units
4500	3900	400	400	200	Units (kWh)
CO2 Emission Factor	0.82	1	1	1.04	kg/CO_2/kWh
Total CO2 / Day	3198	400	400	208	kg/CO_2 / Day
Total CO2 / Month	95940	12000	12000	6240	kg/CO_2 / Month
CO_2 Generation for Units Consumed from Electricity Company				95940	kg/CO_2/month
CO_2 Generation for Units Consumed from DG Set				30240	kg/CO_2/month
CO_2 Emission from LPG Cylinder (405 Cylinders)				17500	kg/CO_2/month
CO_2 Emission from Personal Vehicles Considering 50 L / month Fuel				4660	kg/CO_2/month
Total CO_2 Generation kg/ month				148340	kg/CO_2/month
Total CO_2 Generation tonne/ month				**148**	**t/CO_2/month**
Total CO_2 Generation tonne/ Year				**1780**	**t/CO_2/year**

Mitigation Measures to Reduce the CO_2 Emissions

Development of greenbelt will contribute in a positive manner towards mitigation of greenhouse gases. Global warming is a global concern and hence, the company will be undertaking all possible measures to minimize the CO_2 emissions. These include regular maintenance of all fossil fuel-based machinery and equipment and ensuring their emissions within limit. It will be ensured that all vehicles are having their "pollution under control (PUC)" certificates. The vehicles and machinery will be maintained periodically as per manufacturing specification to ensure optimum fuel utilization. There are several ways to control CO_2 greenhouse gas emissions. Here are some of them:

S. No.	Mitigation Measures	Remarks
1	**Increase energy efficiency**: Using energy-efficient appliances and equipment reduces the amount of energy consumed, which in turn reduces greenhouse gas emissions. This can be done at home, in businesses, and in industries.	We are proposing the National Building Code, the Energy Conservation Building Code (ECBC) for the development to reduce the energy demand. Basic features are as given below. ✓ Aluminium Weather Resistant Insulated Access Panel. ✓ Energy Efficient Windows. ✓ Green Roof. ✓ Solar Power. ✓ Water Conservation. ✓ Recycling. ✓ Landscaping.
2	**Increase the use of renewable energy sources**: Renewable energy sources like solar, wind, hydro, and geothermal are cleaner and produce fewer greenhouse gas emissions compared to fossil fuels. Governments can incentivize the use of renewable energy through tax breaks, subsidies, and other policies.	we are providing the more than 33% solar power consumption as providing the 296 KW for site 2 and 982 KW for site 1 which will reduce the power demand as will affect positive for greenhouse gas emission.
3	**Improve transportation**: Transportation is a significant source of CO_2 emissions. Promoting the use of public transportation, carpooling, and electric vehicles can reduce greenhouse gas emissions.	We are upgrading the transportation facility for the region as developing new bridge widening of road which will reduce the CO_2 emission from vehicles.
4	**Encourage afforestation and reforestation**: Trees absorb CO_2 from the atmosphere, so planting new trees and protecting existing forests can help reduce greenhouse gas emissions.	We are proposing the dense plantation of 4000 trees.
5	**Reduce waste**: Decomposing waste in landfills produces methane, another potent greenhouse gas. Recycling, composting, and reducing waste can help reduce methane emissions.	Bio-composter are being provided for the domestic waste and waste generated from the project will be disposed-off only by authorized vendors who are capable of recycling facility.
6	**Increase public awareness**: Educating people about the impact of greenhouse gas emissions and encouraging them to make lifestyle changes can also help reduce emissions.	Training sessions will be organized for the educating peoples about the greenhouse effects and mitigations.

It's important to note that a combination of these strategies will likely be necessary to effectively control CO_2 greenhouse gas emissions.

- Proposed Green Building Code for this project shall be submitted. PP submitted they are adopting green building code for gold certification from IGBC. The Consultant have successfully completed one of prestigious project of Govt. of India for ICMR New Delhi the National Institute of Research on Environmental Health at Bhouri in Bhopal, the project has been awarded with GOLD CERTIFICATION on date 08-09-2021. Same features and guideline shall be followed in the project to achieve the Gold Certification.

IGBC Green New Buildings Rating System		**Points Available (Owner- occupied Buildings)**	**Points achieved in similar nature of project (NIREH)**
Modules		**100**	
Sustainable Architecture and Design		**5**	**4**
SA Credit 1	Integrated Design Approach	1	1
SA Credit 2	Site Preservation	2	1
SA Credit 3	Passive Architecture	2	2
Site Selection and Planning		**14**	**12**
SSP Mandatory Requirement 1	Local Building Regulations	Required	**Y**
SSP Mandatory Requirement 2	Soil Erosion Control	Required	**Y**
SSP Credit 1	Basic Amenities	1	1
SSP Credit 2	Proximity to Public Transport	1	1
SSP Credit 3	Low- emitting Vehicles	1	1
SSP Credit 4	Natural Topography or Vegetation	2	2
SSP Credit 5	Preservation or Transplantation of Trees	1	1
SSP Credit 6	Heat Island Reduction, Non- roof	2	1
SSP Credit 7	Heat Island Reduction, Roof	2	1
SSP Credit 8	Outdoor Light Pollution Reduction	1	1
SSP Credit 9	Universal Design	1	1
SSP Credit 10	Basic Facilities for Construction Workforce	1	1
SSP Credit 11	Green Building Guidelines	1	1

IGBC Green New Buildings Rating System		**Points Available (Owner- occupied Buildings)**	**Points achieved in similar nature of project (NIREH)**
Water Conservation		**18**	**14**
WC Mandatory Requirement 1	Rainwater Harvesting, Roof & Non- roof	Required	**Y**
WC Mandatory	Water Efficient Plumbing Fixtures	Required	**Y**

Requirement 2			
WC Credit 1	Landscape Design	2	1
WC Credit 2	Management of Irrigation Systems	1	0
WC Credit 3	Rainwater Harvesting, Roof & Non- roof	4	4
WC Credit 4	Water Efficient Plumbing Fixtures	5	5
WC Credit 5	Wastewater Treatment and Reuse	5	2
WC Credit 6	Water Metering	1	2
Energy Efficiency		**28**	**15**
EE Mandatory Requirement 1	Ozone Depleting Substances	Required	**Y**
EE Mandatory Requirement 2	Minimum Energy Efficiency	Required	**Y**
EE Mandatory Requirement 3	Commissioning Plan for Building Equipment & Systems	Required	**Y**
EE Credit 1	Eco- friendly Refrigerants	1	0
EE Credit 2	Enhanced Energy Efficiency	15	10
EE Credit 3	On- site Renewable Energy	6	4
EE Credit 4	Off- site Renewable Energy	2	0
EE Credit 5	Commissioning, Post- installation of Equipment & Systems	2	0
EE Credit 6	Energy Metering and Management	2	1
IGBC Green New Buildings Rating System		**Points Available (Owner- occupied Buildings)**	**Points achieved in similar nature of project (NIREH)**
Building Materials and Resources		**16**	**8**
BMR Mandatory Requirement 1	Segregation of Waste, Post- occupancy	Required	**Y**
BMR Credit 1	Sustainable Building Materials	8	3
BMR Credit 2	Organic Waste Management, Post- occupancy	2	0
BMR Credit 3	Handling of Waste Materials, During Construction	1	0
BMR Credit 4	Use of Certified Green Building Materials, Products & Equipment	5	5
Indoor Environmental Quality		**12**	**7**
IEQ Mandatory Requirement 1	Minimum Fresh Air Ventilation	Required	**Y**
IEQ Mandatory Requirement 2	Tobacco Smoke Control	Required	**Y**
IEQ Credit 1	CO2 Monitoring	1	0
IEQ Credit 2	Daylighting	2	0
IEQ Credit 3	Outdoor Views	1	1
IEQ Credit 4	Minimise Indoor and Outdoor Pollutants	1	1

IEQ Credit 5	Low- emitting Materials	3	3
IEQ Credit 6	Occupant Well- being Facilities	1	1
IEQ Credit 7	Indoor Air Quality Testing, After Construction and Before Occupancy	2	0
IEQ Credit 8	Indoor Air Quality Management, During Construction	1	1

It is proposed to achieve Gold to Platinum certification in 'Green Building' and 'Green Campus' categories as per IGBC Guidelines

Certification Level	**Owner- occupied Buildings**	**Tenant- occupied Buildings**
Certified	40 - 49	40 - 49
Silver	50 - 59	50 - 59
Gold	60 - 74	60 - 74
Platinum	75 - 100	75 - 100

After discussion the PP committed to submit the non-compliance as per the following schedule:-

Sr. No.	**Point of non- compliance**	**Scheduled time for submission compliances**
1.	Final approved T&CP Layout	45 days
2.	Land Use Change in accordance with Bhopal Development Plan 2005	45 days
3.	05 Lakh for Wild life habitat Development at National Park, Bhopal under CER	45 days
4.	NOC for fire safety from Competent authority	Before CTO from MPPCB

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Re-densification of Collectorate Complex and Professor's colony [Total Built Up Area 1,41,545.00 Sq.mt. (1,01,609.00 Sq.mt. Site 1 + 39,936.00 Sq.mt. Site 2] at Khasra No. 106, 107, 108, 109, 1531/108, 1533/108, 1572/109, 1968/110,110, 9, 1382/1, 1382/2, 1382/4, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 1384, 1385, 1386/1, 1386/3, 1387/2, 1424/2, 1425/2, 1884/1424, 1885/1424, 1873/1383/1, 1873/1383/3, 1977/1383/2 Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP) . Cat. 8(a) Building construction project subject to the approval as per vide letter no. 595 dated 16.06.2023 submitted by Executive Engineer (PP) requested conditional EC requested subject for following departments NOC's which are under process :

- T&CP Layout and Modification/conversion of land use in Bhopal Development Plan within 45 days with following special conditions:

Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearances/permissions from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF & CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. 03 nos. DG sets (2X400kVA & 1X200KVA) are proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

xi. The gaseous emission from 03 nos. DG sets (2X400kVA & 1X200KVA) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. The total water requirement during operation phase is 395 KLD (258 KLD site- 1+ 137 KLD site- II) out of which 346 KLD wastewater shall be generated will be disposed of into a nearby municipal sewer line, which will be treated in the CSTP of the BMC having capacity of 4 MLD for Site 1 (Near Professor's colony) and 5 MLD CSTP for Site 2 (Near Kohefiza). Treated water from CSTP will be reused in our project premises for landscaping, flushing, other purposes, etc..

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In

areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiii. For rainwater harvesting, 20 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits is @ 16.0 m3/ pit .

xiv. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.

xvi. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xvii. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xviii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xix. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring report.

xx. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxi. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. PP ensure that more than 33% solar power consumption as providing the 296 KW for site 2 and 982 KW for site 1 which will reduce the power demand as will affect positive for greenhouse gas emission.
ii. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
iii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
iv. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
v. Energy Conservation measures like installation of CFls/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
vi. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
vii. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. **Waste Management**

i. **Total solid waste generated will be around 2.31 TPD (1.27 TPD Biodegradable and 1.04 TPD Non-Biodegradable Waste for site 1 and site 2)** this consist all types of wastes and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016, E-Waste (M&H) Amendment rule , 2010 & Battery (M&H) Amendment rule , 2010.
ii. Hazardous waste as used oil - 80 liter/ year this Hazardous waste shall be disposed of as per HWM rule - 2016 or sold to authorizes recyclers.
iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
iv. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for

general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

v. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.

vi. PP has proposed 02 organic waste composter (2X1000 kg). All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

vii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

viii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

ix. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

x. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

xi. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. **Green Cover**

i. Total 4000 trees shall be planted in the area of **73318 Sq.mt.** m^2 **(66311 Sq.mt + 7007 Sq.mt.)** as open park/greenbelt Area and we have proposed approx. **4000 trees** of native species on site and available space. (31.14 % of total plot area) which is developed as greenbelt development.

ii. As proposed 390 trees are proposed for felled and 05 trees are transplant unless exigencies demand. tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).

iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves

and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
   b. Traffic calming measures.
   c. Proper design of entry and exit points
   d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. Total proposed Parking's arrangement for **1502 ECS** (site-I **1163 + 339** site-II**)**.

iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. **EMP & Corporate Environment Responsibility**

i. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 112.00 Lakhs/year as capital and Rs. 8.80 Lakhs/year as recurring cost has proposed for this project.
ii. Rs. 05 Lakh is proposed for Wild life habitat Development at National Park, Bhopal under CER Activity.
iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

23. Case No 9616/2023 Shri Chandrika Verma, Divisional Project Engineer, PWD PIU, Bhind Road, DD Nagar, Gwalior (MP)-474012. Prior Environment Clearance for Construction of 1000 bedded Hospital at Khasra No. 1804/3, 1804/4, 1460, 1461, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1547, 1548, 1549/1, 1549/2, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1805, 1837/1539, Village-Lashkar, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior M.P. Total Plot Area 86,280 Sq.Meters , Total Built-up 89270.73 Sq. Meters. Env. Cons.- M/s. In-Situ Enviro Care, Bhopal - (For Violation).

This is case of Prior Environment Clearance for Construction 1000 bedded Hospital at Khasra No. 1804/3, 1804/4, 1460, 1461, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1547, 1548, 1549/1, 1549/2, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1805, 1837/1539, Village-Lashkar, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior Total Plot Area 86,280 Sq. Meters , Total Built-up 89,270.73 Sq. Meters.

In the SEAC 623rd dated 22.02.2023 the case was presented by PP Shri Chandrika Verma, Divisional Project Engineer, PWD PIU, Bhind and their Environmental Consultant Shri Ajay Mohan from M/s. In-Situ Enviro Care, Bhopal on dated 22/02/23. During presentation PP submitted that this is a violation project wherein the construction of the

project, has been completed without taking prior Environmental Clearance. The project site is located at village Lashkar, Tehsil and District Gwalior, M.P. having Survey No.: 1804/3, 1804/4, 1860, 1461, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1547, 1548, 1549, 1549/1, 1549/2, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1805, 1539/1837. As the construction of the project, has been completed without taking prior Environmental Clearance. So, it is the case of Violation as per EIA Notification, 2006.

During presentation it was observed from the previous Google image that number trees were existing within the demarcated area before building construction thus PP shall provide the details wrt no of trees felled during construction, permission obtained for tree falling and extensive tree plantation scheme. The density of trees can also be calculated considering a good patch of trees in existence on the eastern side of the project area. During discussion committee suggested that if any diversion of natural drain was carriedout during the construction of the project, the details of the same shall be submitted. Committee also suggested that status of ground water level at the begning of construction and present shall be studied and discussed in the EIA report. Committee also suggested that if laundry is proposed, the details thereof that be submitted with EIA report alongwith STP and ETP details. During discussion PP was unable to provide the details of land use as per P-II form thus committee suggested that same shall be submitted with EIA report and shall be obtained from the land record section of collectorate.Committee also suggested that considering the number of trees were uprooted as per the previous google images, ecological damage caused due to tree falling and land use change shall be studied and discussed in the EIA report with their ecological addressal plan.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits shall be submitted with EIA report.

2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
4. Land acquisition status, R & R details (if any).
5. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5-6 locations in the study area of 10 Km.
6. Status report of constriction with details regarding its operational status and possession given so far in the staff quartes etc.
7. During presentation it was observed from the previous Google image that number trees were existing within the demarcated area before building construction thus PP shall provide the details wrt no of trees felled during construction, permission obtained for tree falling and extensive tree plantation scheme. The density of trees can also be calculated considering a good patch of trees in existence on the eastern side of the project area.
8. If any diversion of natural drain was carriedout during the construction of the project, the details of the same shall be submitted.
9. Status of ground water level at the begning of construction and present shall be studied and discussed in the EIA report.
10. If laundry is proposed, the details thereof that be submitted with EIA report alongwith STP and ETP details.
11. PP was unable to provide the details of land use as per P-II form thus committee suggested that same shall be submitted with EIA report and shall be obtained from the land record section of collectorate.
12. Considering the numbers of trees were uprooted as per the previous google images, ecological damage caused due to tree falling and land use change shall be studied and discussed in the EIA report with their ecological addressal plan.
13. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report with details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
14. Provision of additional exit gate in the proposed project at the time of emergency shall be provided and details shall be provided with EIA report.
15. Copy of Fire NOC obtained from the concerned department and submitted with EIA.
16. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project. Under energy conservation plan detail

proposals for solar panels, battery operated carts for patients, solar heating systems shall be studied and submitted with EIA report.

17. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
18. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
19. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
20. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
21. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
22. Management of solid wastes and the construction & demolition waste for the project wrt to the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Waste Rules, 2016 alongwith Bio Medical Waste Management Rules, 2016 with copy of aggrement with facility provider shall be discussed in EIA report.
23. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
24. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
25. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

The project proponent submitted EIA (for Violation) on 15.06.2023 on PARIVESH Portal, which was presented in the SEAC in the 654th meeting held on 15.06.2023 by PP Shri Chandrika Verma, Divisional Project Engineer, PWD PIU, Bhind Road, DD Nagar, Gwalior and there consultant Shri Mujammil Khan, M/s. Insitu Enviro Care, Bhopal.

PP submitted following chronology & salient features of the project:

Particular	Date
ToR Application under violation	10.01.2023

Date of ToR Presentation	22.02.2023
TOR Granted	29.03.2023
EC Application submitted	15.06.2023

- The hospital project is located at Village: Lashkar, Tehsil and District Gwalior, Madhya Pradesh.
- **The T&CP lay out which was approved on dated 12.04.2021.**
- The building permission obtained by the PP on dated 29.03.2023 from nagar Nigam Gwalior.
- Project involves construction of Hospital Block, Autopsy Block, Dharamshala Block, Utility Block . The maximum height of the project will be 30 Mts.
- The construction work of the hospital project has been completed. The building has construted 100 % .
- CTE from MPPCB obtained on dated 18.07.2021 .
- The developer of the Project is, Government of Madhya Pradesh and the project implementation agency is PWD PIU, Gwalior, M.P.
- The land for the project has been allotted by the office of Collector to Medical Education Department, M.P vide Order No.: Pra.ka.0012/17-18/ a-20 (1) Na.a. Lashkar/965/2019 Gwalior, date – 25 Jan 2019.
- The total land area of the proposed project mentioned as 86280.00 SQM (8.6280 ha) and the built-up area as 89270.73 Sq.mt.
- As on date the construction is completed which includes Hospital building, Admin Block, ESS, Water tank, STP, ETP & PSA Plant.
- As the construction of the project, has been completed without taking prior Environmental Clearance. So, it is the case of Violation as per EIA Notification, 2006 and its subsequent amendments.
- Laundry agreement- The agreement was signed with M/s Fabcare Industrial Laundry (address : 418, Tansen Nagar, Gwalior) on 17.04.2023. E. Stamp code is 0101141704202301023 7. The agreement is attached.
- Water supply permission- Water Supply request letter has been submitted at local body office. Permission letter is awaited. It shall be submitted at your good office within 3 months or earlier. The same will be reflected in half yearly compliance.
- Credible action letter by RO –MPPCB –Gwalior PP submitted that they have submitted the request letter to Pollution control board Regional office – Gwalior for initiating credible action for the project.
- Fire NOC will be obtained within 3 months or earlier and copy of the same shall be submit to the board.

- Disposal of Municipal Solid Waste NOC shall be obtained and submitted at your good office within 3 months or earlier. The same will be reflected in half yearly compliance.
- Disposal of BMW has been awarded to M/s Davis Serjico, CBWTF Operator, Girija Market, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior vide letter No. 44850 / 2022 on 29.11.2022.
- A total of 93806.11 Cubic Meter of earth have been excavated by mechanical means in foundation and drain trenches. Out of this, 55428.14 Cubic Meter have been utilized in trenches side work, plinth, side of foundation, levelling etc. The remaining 38377.79 Cubic Meter have utilized at project site in development of Landscaping and relief.
- We commit to increase the charging point for Electronic vehicle from 8 to 25 numbers.
- Donation of books, fan (10 Nos) and water cooler (2 Nos) in Govt. high school in Resham Mill area.
- 2.Quarterly organization of Free - Eye Health Check up camp outside the hospital premises.
- On award of EC letter, we will submit the schedule of execution of point 1 and 2 at collector's office before 15 days.
- We commit for plantation of the 1000 trees, wherein all the trees shall be characterised by local and evergreen by tree type.
- With the construction of building, the ecological damage pertains to the permanent obstruction in the natural seepage of water across concrete through natural percolation. In order to address the same, we have proposed 10 Rain Water Harvesting Structure with holding capacity of 31.4 Meter Cube of water.
- During construction phase LPG, Vehicle, DG Stack were the major sources of carbon generation. We have proposed that about 2 per cent of electric load (nearly 35 KWA) to be obtained from Solar Light. The use of LED is lighting system is throughout in indoor and out areas.

PP submitted that proposed greenbelt area i. e 35,000 Sq.m (40.56 % of Plot area). In our project we proposed total 875 trees of native species. As per Gwalior Nagar Nigam 46 tree felling has ben obtained subject to condion mentioned in the vide letter dated 19.01.2021 in addition to this 460 more trees are proposed by PP.

- For Laundry agreement, the agreement was signed with M/s Fabcare Industrial Laundry Gwalior on 17.04.2023.
- Being a case of violation PP submitted request letter to MP Pollution Control Board Regional office , Gwalior for initiating credible action for the project .
- The Fire NOC will be obtained within 3 months or earlier and copy of the same shall be submitted to the SEIAA.

- Disposal of Municipal Solid Waste NOC shall be obtained and submitted SEIAA within 3 months or earlier. The same will be reflected in half yearly compliance.
- A total of 93806.11 Cubic Meter of earth excavated by mechanical means in foundation and drain trenches. Out of this, 55428.14 Cubic Meter will be utilized in trenches side work, plinth, side of foundation, levelling etc. The remaining 38377.79 Cubic Meter will be utilized at project site development in Landscaping. Disposal of BMW awarded to M/s Davis Serjico, CBWTF Operator, Girija Market, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior vide letter No. 44850 / 2022 on 29.11.2022.

PP mentioned in their undertaking letter dated 16.06.2023 wherein submitted the regarding Laundry agreement the agreement was signed with M/s Fabcare Industrial Laundry (address : 418, Tansen Nagar, Gwalior) on 17.04.2023. E. Stamp code is 01011417042023010237. **The PP committed the other NOCs like Fire, Water supply, MSW disposal, Disposal of extra treated water shall be submitted within following time frame.**

SNo	Point of non-compliance	PP Reply
1.	Water supply permission	Water Supply request letter has been submitted at local body office. Permission letter is awaited. It shall be submitted at your good office **within 3 months or earlier.** The same will be reflected in half yearly compliance.
2.	Credible action letter by RO –MPPCB – Gwalior	We have submitted the request letter to Pollution control board Regional office – Gwalior for initiating credible action for the project. **within 3 months or earlier.**
3.	Fire NOC	Fire NOC will be obtained **within 3 months or earlier**
4.	Disposal of Municipal Solid Waste NOC	Disposal of Municipal Solid Waste NOC shall be obtained and submitted at your good office **within 3 months or earlier.**
5.	Disposal of Extra Treated water NOC	Disposal of Extra Treated Water NOC shall be obtained and submitted at your good office **within 3 months or earlier.**
6.	EV station for 25 AMP. (8 to 25 Nos.	We commit to increase the charging point for Electronic vehicle from 8 to 25 numbers. **within 3 months or earlier.**
7.	CER activity, (health awareness camp, school library, school list)	1.Donation of books, fan (10 Nos) and water cooler (2 Nos) in Govt. high school in Resham Mill area. 2.Quarterly organization of Free - Eye Health Check up camp outside the hospital premises.

		On award of EC letter, we will submit the schedule of execution of point 1 and 2 at collector's office before **15 days.**
8.	Facility of Public utilities in Dharamshala and details of dining facility	Dharamshala is designed for nearly 300 personals. It is a Ground + 4 structure. There are 42 numbers of 6 bedded rooms with attached toilets (1^{ST} to 3^{rd} Floor). 28 VIP rooms with attached toiles on 4^{th} floor. 12 shops are provided at ground floor with area of each shop as 220 Sq. Feet. Central Dining and Kitchen is provided at the ground floor. **(Already proposed in the lay-out)**
9.	Dense plantation in the adjacent land and no development to be done in future	We commit for plantation of the 1000 trees in the eastern part of the project site, wherein all the trees shall be characterized by local and evergreen by tree type. **within 3 months.**
10.	Greening Gopanchal Pahari	1000 nos. of trees shall be planted in the Gopanchal Pahari and protection for minimum of 03 years as compensation for Environmental damage in long term perspective. **within 3 months.**

PP submitted following Ecological Damage assessment plan & Augmentation & remediation plan.

Ecological Damage Caused: Land Environment

S. No.	**Environmental component**	**Yes / No**	**Explanation**
1.	**Land use as per approved Master / Zonal Plan**	**No**	**1000 bed hospital in Gwalior is in confirmation with approved land use as in master plan.**
2.	**Total vegetation removed / cut in non EC Period**	**Yes**	**46 trees are cut with permission and 460 trees are planted as compensatory in ratio of 1 : 10 Trees**

Ecological Damage Caused : Water Environment

Environmental component	Yes / No	Explanation
Groundwater Intersection during construction	No	--
Groundwater Extraction during construction	No	--
Change in existing local drainage pattern	No	--

Ecological Damage Caused : Air, Noise & Vibration Environment

S. No.	Environmental component	Yes / No	Explanation / Commitment
1.	Emission from DG sets	Yes	Air pollution – Disturbed the Ambient Air quality
2.	Dust Control	Partial	Periodical Water sprinkling, covering of loose material soil / sand, fencing project site with 10 meter high tin sheet
3.	Practice of Air monitoring system	No	Periodical monitoring of ambient air missed
4.	Distribution of PPE kit to workers	Yes	Helmet, jackets, safety shoes, gloves and ear muffs were provided.
5.	Damage to Human settlement	No	Construction is done with in our site and till date no casualty

BUDGETARY ALLOCATION FOR EMP

S. No.	Particulars	Capital Cost (Rs. Lakhs)	Recurring Cost (Rs. Lakhs)
1	Air Pollution, dust mitigation measures and Noise Control	8.00	4.00
2	Water Pollution Control	5.00	3.00
3	Environment Monitoring and Management	5.00	2.00
4	Occupational Health	3.00	1.50
5	Greenbelt Development	9.00	2.00
6	Plantation outside project boundary	2.0	1.00
7	Awareness programme-environment conservation	2.0	1.50
8	Rainwater Harvesting	20.0	10.0
Total		**54.0**	**25.0**

Remedial Plan/ Augmentation Plan:

S. No.	Environmental Factors/ Attributes	Remedial Plan/ Augmentation Plan	Remedial Cost (INR)		Environmental Management Plan	EMP Cost (INR)		Remarks
			Capital	Recurring		Capital	Recurring	
1	Land use as per Approved Master Plan by T&CP, Gwalior	T&CP permission has been obtained - NO VIOLATION	-	-	Project Cost, Capital Cost & Land cost	-	-	T & CP permission was obtained

2	Environnemental Sensitive Places, Land Acquisition Status, Resettlement & rehabilitation	This is the Govt. Project, which provide health care services to the people of the region.Resettlement & rehabilitation- not applicable - NO VIOLATION	-	-	Land is in possession of Medical Education Department, M.P. All land records are enclosed with our EC Application.	-	-	vide reference SR. GWLLP 7787 / NAGRANI/2021 Gwalior dated 12.04.2021 and attached with T & CP Approved Layout Plan as Annexure III .
3	Baseline Environmental Quality (2019-23)	All the parameters are in the comfort zone in one season EIA study Monitoring data from 2019-24 is pending @ 30,000/ year * 4 Years (2 Air, 2 Noise, 1 water).	-	1,20,000	-	-	2,50,000	We have done EIA study. All baseline data results are found satisfactory
4	A) Land	The total land area of the proposed project mentioned as 86280.00 SQM (8.6280 ha) and the built-up area as 89270.73 Sq.mt. The land for the project has been allotted by the office of Collector to Medical Education Department, M.P vide Order No.: Pra.ka.0012/17-18/ a-20 (1) Na.a. Lashkar/965/2019 Gwalior, date – 25 Jan 2019.	-	-	All land records are enclosed with our EC Application. Construction waste was used in land levelling and construction activities. Municipal waste will be disposed through Municipal Corporation.	-	-	No Violation
	B) Ground Water	Water for construction activities was	-	-	During operational phase the Main source	-	-	NO VIOLATION

		sourced from private water tankers.			of water supply will be Municipal water supply.			
	C) Surface water	Not applicable, No Water body exist within the project site	-	-	Not applicable	-	-	NO VIOLATION
	D) Air	Water sprinkling had been done as per terms & condition of the work order agreements (1 water tankers/ day)	-	-	Construction period = 2 years, Working Day = 800 day so Per day water requirement = 2 KLD (1 Tanker @ 500/ tanker water cost)	-	4,00,000	In house arrangements
	E) Biodiversity	NOT APPLICABLE	-	-	NOT APPLICABLE	-	-	We have not created any change in the biodiversity of the area.
	f) Noise & Vibration	Site is fully barricaded. Only PUC certified vehicals or machinary will be used in site. NOT APPLICABLE	-	-	All prefabricated installations have been done on boundary.	-	-	No violation
	g) Socio economy & Health	-	-	-	-	-	-	Done in EIA study
	g. a. Occupational Health checkup for 200 Workers	Initial Medical Examination (IME) for 200 workers Deployed on site (200 X 500)	-	1,00,000	Initial Medical Examination (IME) for 100 workers deployed on Site. (500 Rs/ workers) for a year.	-	50,000	Total Calculated value for occupational health and check-up, PPE's and Worker's Shelter have been covered under
	g. b. Personal Protection Equipment's	All PPE's distributed to the laborer and staff are under contractor's scope (200 X 500)	-	1,00,000	-	-	-	
	g. c. Shelter and Sanitation for 200 workers	Temporary shelter & Mobile toilet has been provided to the workers	4,00,000	-	-	-	-	

								remedial cost
5	Contour Plan With slopes, Drainage pattern of the site and surrounding area any obstruction of the same by the projects.	No conversion is done in storm water drainage pattern on site	-	-	--	-	-	No Violation
6	Tree Felling	46 tree cutting is proposed and permission has been obtained vide letter no. Sr. No. 1 / 19*13/1 park Gwalior dated 21.01.2019.	-	-	46 trees were fell down for the construction and 460 compensatory plantation is to be done.	-	-	Tree cutting permission is enclosed with inventory as Annexure VIII.
7	Tree plantation	We are proposing 35000 sqm (about 40%) in open park & other areas (preferably native species). 1000 trees are to be planted in the open area in south east part of the project	2,00,000 10,00,000	-	Horticulture and Landscaping will be done	20,00,000	8,00,000	All remedial cost will be utilized for plantation & further development of additional landscaping.
8	Permission for forest Land	NOT APPLICABLE	-	-	NOT APPLICABLE	-	-	No forest area is involved in this project.
9	Environment policy	Policy is part of Terms & Condition of mutual Agreement	-	-	-	-	-	Policy is part of Terms & Condition of mutual Agreement.
10	Ground Water Classification	During construction phase no ground water was used.	-	-	During construction phase no	-	-	No violation

					ground water was used.			
11	Source of Water	A – Construction Phase	-	-	--	-	-	Private Water Tankers.
		B – Operational Phase	-	-	--	-	-	Water supply permission will be obtained from Office of Municipal Corporation, Gwalior, Application has been submitted. The copy of water request letter is attached as Annexure V.
12	Source of Waste Water Treatment	500 KLD STP with SBR technology & 50 KLD ETP has been constructed - No Violation	-	-	Total water demand is 570 KLD and 498 KLD waste water will be generaeted. Also 45 KLD waste water from procees in hospital will be generated.	75,00,000	7,50,000	Extra treated water permission will be obtained.
13	Dual Plumbing	Dual Plumbing for land scaping& water supply	30,00,000	3,00,000	Dual Plumbing for land scaping& water supply	-	-	Detailed in EMP
12	Rain Water Harvesting	-	20,00,000	10,00,000	We have proposed total 10 No. of RWH pits of 31.4 cum each recharge	-	-	--

					capacity.			
13	Soil Characteristics & Ground Water Table & Top Soil Conservation	During construction, the solid waste generated used in filling on site. No disposal was done outside.	-	-	875 no. of tree plantation has been proposed to avoid any degradation or soil erosion.	-	-	NO VIOLATION
14	Solid Waste Generation Treatment	No such waste generated during the construciton phase.	-	-	Solid Waste was reused in proposed boundary wall & stone pitching to reduce RCC work on site	-	-	-
		During operation, Solid Waste disposal permission has been obtained from Office of Municipal Corporation, Gwalior.	-	-	Municipal waste shall be controlled segregated transferred and disposed-off by Nagar Nigam Gwalior.	4,00,000	80,000	The total quantities of solid waste that will be generated from phase I will be 1933 kg/day (779 kg/day Biodegradable, & 623.2 kg/day non-Biodegradable, recyclable waste 155.8 kg/day recyclable waste). The biomedical waste is 25 % of total waste which is 375

								kg/day. Solid Waste disposal permission has been applied to the Office of Municipal Corporation, Gwalior (Letter No. AW-0010475/21-6908 Dated 29.07.2021).
15	Energy conservation & Energy Efficiency (LED bulb & Solar System)	Solar Energy / Panel	-	-	Provisional of the solar panels for Hospital and LED light for Other Areas.	70,00,000	9,00,000	We have proposed Solar Panels.
16	D G Sets	Till date RMC has been used for construction.	-	-	-	-	-	We have not used DG set in our construction phase.
17	Parking & Roads	Approach road already exists sufficient space excises for Parking	-	-	Development of Open Parking & Other Services -	-	-	All adequate parking facilities have been provided as per T&CP norms.
18	Transportation of materials for construction	Only prefabricated materials have been used	-	50,000	Storage hall/ service yard will be for materials stacking during further 40% construction.	-	-	Some miscellaneous transportation work had not been done in

								appropriate manner. We are proposing some rounded amount in our remediation cost.
19	Disaster Management Plan	-	-	-	Centralized control room with ERP system	-	-	--
	a) Fire	An elaborate firefighting arrangement shall be designed as per the requirement of National Building Code Part-IV. Internal fire hydrants at suitable and convenient locations shall be provided on fire water supply mains.	20,000,000	3,000,000	Firefighting organizing and arrangement: External fire hydrant system, hose pipes, pumps with control panel, overhead tanks, first aid, fire extinguishers, sand buckets, Manual and automatic fire alarm, main security room etc.	-	-	Provisional NOC will be obtained.
	b) Accidental & First aid etc.	First aid kit for worker's safety on site	50,000	10,000	First aid kit for worker's safety on site	-	-	-
	c) Safety	All loading machines, dumpers & Equipment will be deployed as per safety norms mentioned in Agreement.	-	-	All loading machines, dumpers & Equipment will be deployed as per safety norms mentioned in Agreement.	-	-	No violation
Total Remedial Cost (INR)			**Rs. 2,66,50,000**	**Rs. 46,80,000**	**Total EMP Cost (INR)**	**Rs. 1,69,00,000**	**Rs. 32,30,000**	-

Total Remedial Cost (in Lakhs)	**Rs. 266.50**	**Rs. 46.80**	**Total EMP Cost (In lakhs)**	**Rs. 169.00**	**Rs. 32.30**	**-**
For BG **Rs. 7,910,000**						

Therefore total Bank Guarantee submitted will be **INR 79,10,000/-.**

S. No	Subject Head	Value in INR (Cr.)
1.	Total Project Cost	305.00
(A)	Penalty as per the SOP 1% of the total project cost	3.05
(B)	0.25 % of turnover during period of violation Turnover is same as project cost because construction of hospital is complete	0.7625
	Total Penalty = (A + B)	3.8125
2.	As per violation notification of 07.07.2021, Page 8 of 9, point no. 12.2 "*The percentage rates, as above, shall be halved if the project proponent suo-moto reports such violations without such violation coming to the knowledge of the government either on inquiry or complaint"*	1.90625
	In words: Penalty in INR is One Core Ninety Lakhs Sixty Two Thousand and Five Hundred Only.	

Committee evaluated the **Remedial Plan/ Augmentation Plan** along with other project details are found satisfactory and PP proposed deposit the bank guarantee with three years validity of Rs. 79.10 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA as per the procedure laid down in the MoEF&CC Notification dated 08/03/2018.
Further, this being a violation case for which Ministry of Environment Forests & Climate Change vide its OM dated 28/01/2022, has reinstated the Standard Operating Process (SOP) dated 15/07/2021 as per the order dated 09/12/2021 of Hon'ble Supreme Court of India to deal with the violation cases. PP submitted that as per violation notification of 07.07.2021, Page 8 of 9, point no. 12.2

"*The percentage rates, as above, shall be halved if the project proponent suo-moto reports such violations without such violation coming to the knowledge of the government either on inquiry or complaint*" Penalty provisions as per para 12 (ii) of the notification will be applicable i.e. 0.5% of the total project cost incurred upto date. PP has submitted a certificate on cost incurred of Rs. 1.90625 Crore. As the operation has not started the penalty provision works out to be Rs. 1.90625 Crore.

The EIA/EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of Environment Clearance for **Construction of 1000 bedded Hospital at Khasra No. 1804/3, 1804/4, 1460, 1461, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1547, 1548, 1549/1, 1549/2, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1805, 1837/1539, Village-Lashkar, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior M.P. Total Plot Area 86,280 Sq.Meters , Total Built-up 89270.73 Sq. Meters.** [Total plot area **86,280** sqm., built-up area **89270.73** sqm.] subject to deposit bank gurantee of Rs. 79.10 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA, Penalty @ 0.5% of the total project cost incurred upto the date of filling of application i.e. Rs. 1.90625 Crore as per clause 12 a.ii. of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act,1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21 with following conditions:

I. Statutory compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee
ii. NOC shall be obtained from National Commission of Seismic Design Parameters (NCSDS) of CWC (if applicable).
iii. The Fire NOC will be obtained within 3 months or earlier and copy of the same shall be submitted to the SEIAA. The same will be reflected in half yearly compliance.
iv. Disposal of Municipal Solid Waste NOC shall be obtained and submitted SEIAA within 3 months or earlier. The same will be reflected in half yearly compliance.
v. Water supply permission- Water Supply request letter has been submitted at local body office. Permission letter is awaited. It shall be submitted at your good office within 3 months or earlier. The same will be reflected in half yearly compliance.
vi. Being a case of violation PP submitted request letter to MP Pollution Control Board Regional Office , Gwalior for initiating credible action for the project the credible proof shall be submitted to the SEIAA .

II. Air quality monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
iv. 02 Diesel power generating sets (2 x 1000 KVA) 2000 KVA (DG Sets) proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
xi. The gaseous emission from 02 Diesel power generating sets (2 x 1000 KVA) 2000 KVA (DG Sets) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. The total water requirement are required as follows :

S. No	Description	No of Occupancy	Consumption Liters per Head/ day NBC, 2016 - BIS	Total /Liters per Head/ day /KLD	Fresh water (KLD)	Non contact use (KLD)
1	Hospital Ward	1000	450 LPCD (300 fresh + 150 Non contact water)	450000 LPH/D or 450 KLD	300	150
2	OPD Visitors	3000	15 LPCD (5 fresh + 10 Non contact water)	45000 LPH/D or 45 KLD	15	30
3	Hospital Staff	900	45 LPCD (25 fresh + 20 Non contact water)	40500 LPH/D or 40.5 KLD	22.5	18
4	Dharamshala	262	135 LPCD (90 fresh + 45 Non contact water)	35370 LPH/D or 35.37 KLD	23.58	11.79
5	DG Set	3280 KVA	0.9 *KVA * 8 HOURS	23616 LPH/D or 23.61 KLD		
6	Horticulture	35000 sq. m	3 sq.m/l	105		
7	Filter Backwash			10		
8	Road Water and HVAC			59		
Total KLD= 570 (Fresh water + flushing water)					**361.08 or 361 KLD**	**209.79 or 209 KLD**

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be to monitor to monitor the water balance as projected by the project

proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiii. For rainwater harvesting, 10 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 31.4 m^3 . Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xiv. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xv. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xvi. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xvii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.

xviii. 498 KLD will be the total wastewater generated, which will be treated in the STP of 500 KLD & ETP of 50 KLD . The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing & gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.

xix. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xx. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxi. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

i. We commit to increase the charging point for Electronic vehicle from 8 to 25 numbers.

ii. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.

iii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time .

V. Energy Conservation measures.

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient

building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

VI. Waste Management

i. During the operation phase, waste is comprised of domestic as well as landscape waste. The solid waste generated from the project is mainly domestic waste and estimated quantity of the waste is approx.
The detilas are as given below:

S. No	Waste	Quantity Kg/day	Percentage
1	Biomedical waste	375	25% of total waste generated from 1000 beds.
Rest remaining MSW 1558 kg/day			
2	Bio degradable waste	779.0	50
3	Non-bio degradable	623.2	40
4	Recyclable waste	155.8	10

ii. Disposal of BMW has been awarded to M/s Davis Serjico, CBWTF Operator, Girija Market, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior vide letter No. 44850 / 2022 on 29.11.2022.

iii. Arrangements have been made at the site in accordance with Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 and amended Rules, 2016 and the electronic waste is managed as per the guidance of E-waste (Management and Handling) Rules 2016.

iv. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

VII. Green Cover

i. Proposed greenbelt area i. e 35,000 Sq.m (40.56 % of Plot area. In our project we proposed total 875 trees of native species. As per Gwalior Nagar Nigam 46

tree felling has ben obtained subject to condion mentioned in the vide letter dated 19.01.2021 in addition to this 460 more trees are proposed by PP.

ii. PP submitted that 1000 nos. of trees to be planted on eastern side of government land for re-densification of plants which are local importance.

iii. In addition to above 1000 nos. of trees shall be planted in the Gopanchal Pahari and protection for minimum of 03 years as compensation for Environmental damage in long term perspective.

iv. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover such as Pipal, ficus, Kadamb, Putranjeeva etc are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

vi. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

VIII. Transport

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
b. Traffic calming measures.
c. Proper design of entry and exit points.
d. Parking norms as per local regulation.

ii. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the

project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & CER

i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly

approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

v. PP has proposed 79.00 Lakh (including capital Rs. 54.0 Lakh and 25.0 Lakhs as recurring cost) for this project and PP, Shri Chandrika Verma, Divisional Project Engineer, PWD PIU, Bhind Road, DD Nagar, Gwalior (MP)-474012 has proposed to submit a guarantee with three years validity of Rs. 79.10 lakh towards Remediation Plan. In addition, expenditure already incurred on implementation of EMP is Rs. 79.00

vi. As per OM dated 07/07/21 Penalty @ 0.5% of the total project cost incurred upto the date of filling of application i.e. Rs. 1.90 Crore as per clause 12 –ii , that is of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act,1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

vii. For this project PP has proposed Rs 238.00 Lakh as Corporate Environment Responsibility (CER):

S. No	**Program Name**	**Proposed Action Plan**	**Financial Allocation (Lakhs) First Year**		**Financial Allocation (Lakhs) Second Year**		**Financial Allocation (Lakhs) Third Year**	
			Capital Cost	Recurring Cost	Capital Cost	Recurring Cost	Capital Cost	Recurring Cost
1	Plantation in Gopanchal Pahari	1000 nos. of trees shall be planted	20	--	--	4.0	--	4.0
2	Solar Provisions-Energy Conservation	Solar panels in nearby Government school and provision of Solar Street lights in the nearby area	30	--	--	4.0	--	4.0
3	Health Awareness Camp	Awareness Camps for oral hygiene, Diabetes and Blood Pressure, Vaccination etc in Government school for local people.	30	--	--	4.0	--	4.0

4	Bus Shelter	Construction of bus shelter along approach road	15	--	--	2.0	--	2.0
5	Support to Existing Govt Schools in Region	Financial aid to Govt Schools in vicinity for developing infrastructure	20	--	--	2.0	--	2.0
6	Support to school library	Campaign on donation of books to identified Govt School to promote reading in schools and aid teachers in their teaching process	20	--	--	3.0	--	3.0
7	Clean Energy	LED based Street Lights and Solar panels , battery operated carts of patients and water heater in the project site	40	--	--	5.0	--	5.0
8	Skill Development	Skill development program for local people	10.0	--	--	2.5	--	2.5
	Total		185	--	--	26.5	--	26.5
Grand Total			**185.0 + 26.5+ 26.5 = 238 Lakhs**					

vii. Under CER PP submitted -Dharamshala is designed for nearly 300 personals. It is a Ground + 4 structure. There are 42 numbers of 6 bedded rooms with attached toilets (1^{ST} to 3^{rd} Floor). 28 VIP rooms with attached toiles on 4^{th} floor. 12 shops are provided at ground floor with area of each shop as 220 Sq. Feet. Central Dining and Kitchen is provided at the ground floor.

XI. Human health issues

i. Budget provisions made for the community and social development plan including community welfare schemes shall be implemented in toto.

ii. Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done in and around the labour colonies, affected villages, stagnated pools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the

form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Labour force to be engaged for construction works shall be examined thoroughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.

v. Early Warning Telemetric system shall be installed in the upper catchment area of the project for advance intimation of flood forecast.

XII. Miscellaneous

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.

ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)

iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष